पंजाब केसरी – लेख श्रंखला
(सम्पादक–अश्विनी कुमार)

क्या हिन्दुस्तान में हिन्दू होना गुनाह है ?
(भाग–1 से 29)

जीवन में कभी–कभी अतीत की गहराई में झांकना बड़ा ही अच्छा लगता है और सुखप्रद भी। यहां यह बात मैं राष्ट्रों के अतीत के संदर्भ में कह रहा हूं। भारतवर्ष के जिस तंत्र में हम रह रहे हैं और मूर्खतावश जिसे 'प्रजातंत्र' कहते हैं वह आजादी के पांच दशकों बाद कैसा सिद्ध हुआ है, इस पर यहां मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता।

मैं त्रेतायुग के काल से इस राष्ट्र की विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन पिछले दिनों कर रहा था। इसी क्रम में कुछ ऐसे तथ्यों की जानकारी मिली जिन्हें न केवल मैं पाठकों के साथ सांझा करना चाहता हूं, अपितु मेरी मंशा है कि हम कुछ बातों की प्रासंगिकता आज के युग में भी जानें। यह बात सत्य है कि श्रीराम को परिस्थितिवश बनवास जाना पड़ा, फिर भी ज्येष्ठ दशरथनंदन होने के नाते महाराज दशरथ यह देखकर चिंतित थे कि श्रीराम चिंता में हैं। कुछ प्रश्न उनके मन में उमड़–घुमड़ कर आते हैं और उन्हें व्यथित कर जाते हैं। यथासम्भव उन्होंने स्वयं भी उनका निराकरण किया और बाद में महर्षि वशिष्ठ को विस्तार से सारी बात बताई। श्रीराम और महर्षि वशिष्ठ में एक लम्बा वार्तालाप हुआ। आज परम सौभाग्य की बात यह है कि इन सभी वार्तालापों सम्पूर्ण वृतांत 'योग वशिष्ठ' मूलतरू संस्कृत में उपलब्ध ग्रंथ तो है ही, उसके कुछ अच्छे भाष्य भी उपलब्ध हैं।

आज इसे धार्मिक ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। योग शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ भी माना जाता है, वैराग्य की भी बहुत सी बातें इसमें हैं परन्तु एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसमें ऐसा सब कुछ निहित है। 'योग वशिष्ठ' अनुपम है' किसी अन्य कृति से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

ठीक इसी प्रकार महाभारत काल में एक अंधे राजा ने जब यह देखा कि उसकी विदुषी पत्नी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली और सारे के सारे राजकुमार नालायक निकल गए तो उस राजा ने विदुर जी को निमंत्रण दिया।

एक छोटा परन्तु बड़ा सारगर्भित ग्रंथ प्रकट हुआ। हम उसे कहते हैं–विदुर नीति।

भावी घटनाएं कुछ और थीं, वरना धृतराष्ट्र का यह प्रयास स्तुत्य था।

अब शिवाजी राजे की बात।

भारतवर्ष में हिन्द–पद–पादशाही का स्वप्न पूरा हुआ। शिवाजी महाराज को दिव्य निर्देश तो मिले, परन्तु उससे पहले एक अद्भुत कृति का प्राकट्य हुआ।

उसका नाम है–दास बोध। मनुष्य को स्वयं को अपनी पूर्णता में समझ पाने की वह अद्भुत कृति है। उसका आशय क्या है, क्या आप जानना चाहेंगे। आशय है:

'इक बहाना था जुस्तजु तेरी
दरअसल थी, मुझे खुद अपनी तलाश।'

दास बोध अद्‌भुत है। समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने प्रिय शिष्य शिवा की झोली में 'दास बोध' डाला और शिवाजी ने समस्त राजपाट उन्हें समर्पित कर दिया और 'राजध्वज' को भगवे में रंग दिया और नारा लगा 'जय–जय–जय रघुवीर समर्थ।

इस शृंखला में कौटिल्य को कैसे भूलें।

अर्थशास्त्र का एक–एक वचन चीख–चीख कर कह रहा है कि इससे उत्कृष्ट रचना पिछले हजारों वर्षों में नहीं रची गई। योग वशिष्ठ, विदुर नीति, दास बोध और अर्थशास्त्र, सब कुछ हमारे पास था, फिर भी हम सदियों गुलाम रहे क्योंकि हम अपनी जड़ों से कट गए।

आज इतिहास अपने आपको दोहरा रहा है। जिस राह पर हम चल रहे हैं वह सिवाय 'विध्वंस' के हमें कहां ले जाएगी ?

कारण क्या है ? कारण एक ही है कि 'गोरे अंग्रेजों' के हाथ से निकल कर राष्ट्र काले अंग्रेजों के हाथ में चला गया। यह सारे के सारे 'मैकाले' के मानस पुत्र थे। इन्होंने भारत को इसकी जड़ों से काट दिया।

'धर्मनिरपेक्षता' नामक शब्द भारत के माथे पर कोढ़ बनकर उभरा। यह आज भी इस राष्ट्र के लिए कलंक है। धर्म के प्रति न तो आज तक कोई निरपेक्ष हो सका है और न ही भविष्य में होगा क्योंकि धर्म चेतना का विज्ञान है, अतः यह हमेशा एक ही रहता है, दो नहीं हो सकता।

क्षमा, दया, शील, सच्चरित्रता यह धारण करने योग्य हैं, अतः जो इन्हें धारण करता है वही धार्मिक है, जो निरपेक्ष है, वह बेईमान है। अपने संस्कारों को अक्षुण्ण रखते हुए धार्मिक रहा जा सकता है।

भगवान कृष्ण ने गीता में कहा–

'स्वधर्मे निधनं श्रेयम'

इसका एक ही आशय है, अपनी निजता न खोओ।

अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है। ढोंगी न बनो। ढोंगी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। भारत में सर्व धर्म समभाव के प्रणेता प्रकट हो गए। राजनीति ने ऐसा कलुष पैदा किया। भगवान कृष्ण ने कहा–अपना धर्म श्रेष्ठ, परन्तु किसी की विचारधारा का अनादर न करो। इन बेइमान पाखंडियों को देखो, जो सवेरे मजारों पर चादर चढ़ाते हैं, दोपहर को मंदिरों में जाते हैं, शाम को चर्चों में जाकर भाषण देते हैं तथा रात में गुरुद्वारे जाकर सिरोपा लेते हैं।

ऐसा लगता है, इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया ?

सावधान ! ये पहले दर्जे के पाखंडी हैं। यह ढोंग कर रहे हैं, जो राजनेता परमहंसों जैसा आचरण करे उसे क्या कहेंगे ?

भारत के एक राज्य कश्मीर से चुन–चुन कर 'हिन्दुओं' को खदेड़ दिया गया था। यह राष्ट्र का बहुसंख्यक समाज है, यह अपने अभिन्न अंग में नहीं रह सकता। इनकी रक्षा का प्रबंध यह सरकार नहीं कर सकी क्योंकि सारी की सारी सरकारें 'धर्मनिरपेक्ष' हैं और पंडितों के लिए न्याय मांगने वाले साम्प्रदायिक करार दिए जाते रहे।

'अगर सच कहना बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं।'

इस सम्पादकीय में मैं बहुत सारे सवाल उठाऊंगा। इतिहास के कुछ पन्नों का सहारा लेकर अपनी बात को स्पष्ट करूंगा कि इस हिन्दुस्तान में हिन्दुओं से कैसा व्यवहार होता रहा है। सिर्फ आज वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। वोटों की खातिर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की नीतियां जारी हैं। आज मनमोहन सरकार कठघरे में खड़ी है और इतिहास का काल पुरुष सरकार से पूछता है–क्या हिन्दुस्तान में हिन्दू होना गुनाह है ? (क्रमशः)

कल मैंने सवाल उठाया था कि क्या हिन्दुस्तान में हिन्दू होना गुनाह है ? इस सवाल का जवाब अधिकांश लोग हाँ में देते हैं। आखिर ऐसी सोच क्यों पैदा हुई ? भारत विश्व के दृश्य पटल पर सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है। यह ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है, जैसी धर्मनिरपेक्षता होनी बड़ी मुश्किल है। जो नई नस्लें है, उन्हें क्या मालूम की हम क्या चीज हैं। भारत आजाद हुआ, इसके लिए

बाकायदा इंडियन इंडीपैंडैंस एक्ट बना, पाकिस्तान वजूद में आ गया। अंग्रेजों ने उन्हें कश्मीर नहीं दिया था। उसे हमारे साथ महाराजा हरि सिंह ने विलय किया था। ऐसा विलय 542 रियासतों ने पहले ही कर दिया था। सबकी बात हमनें सुनी, मानी परन्तु कश्मीर में घुंडी अड़ गई। यह अनोखी धर्मनिरपेक्षता थी। शेख और महाराजा के अच्छे सम्बन्ध नहीं थे। महाराजा ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में कैद कर रखा था जबकि पंडित नेहरू और महाराजा के सम्बन्ध भी अच्छे नहीं थे। महाराजा की नजरों में नेहरू की चारित्रिक समग्रता संदिग्ध थी। शेख अब्दुला तिलमिला उठे। वह बाहर आए, नेहरू से मिले और शेख ने चाल चल दी। 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। यह एक पूर्ण रूप से सुनियोजित षड़यंत्र था। भयंकर मारकाट हुई। महाराज ने अपनी रियासत को भारत के हक में विलयन के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। श्रीनगर तो बच गया, परन्तु हमारा 2/5 भाग पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथिया लिया। पाकिस्तान की बलात्कारी फौज को जवाब देने के लिए हमारी सेना पहुँच चुकी थी। घनसारा सिंह और ब्रिगेडियर परांजपे मौजूद थे। छह घंटे के अन्दर हमारा भू–भाग वापस आ सकता था, परन्तु सेना का नियंत्रण और उसे आगे बढ़ने का अधिकार केवल शेख के हाथ में विशेष आदेश के द्वारा नेहरू ने दे रखा था।

कारण था–हमारी धर्मनिरपेक्षता।

सवाल भारतीयता का नहीं धर्मनिरपेक्षता का था। महाराजा हरि सिंह रोते रहे, हमने अपना भू–भाग गंवा दिया और मामला संयुक्त राष्ट्र तक जा पहुँचा।

हम अपनी सरजमीं से विशाल सेना होते हुए भी दुश्मन को खदेड़ नहीं सकें। हमारी धर्मनिरपेक्षता आड़े आ गई। मामला संयुक्त राष्ट्र में लटक गया।

पाकिस्तान ने हमारे भू–भाग का 13 हजार वर्ग किलोमीटर 2 मार्च, 1963 को चीन को दान कर दिया। सीमा निर्धारण के बहाने किये गए इस कुकृत्य पर बतौर विदेश मंत्री भुट्टो ने हस्ताक्षर कर दिए और उधर चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री चेन यी ने दस्तखत किए। इसी को कहते है 'माल महाराजा का मिर्जा खेले खेली।' माल किसी का था और कमाल कौन कर रहा था। जब पंडित नेहरू पर दबाव पड़ा तो उन्होंने मगरमच्छी आंसुओं से भरा एक भाषण लोकसभा में 5 मार्च, 1963 को दिया था।

यह एक 'धर्मनिरपेक्ष और ढ़ोंगी' प्रधानमंत्री की तकरीर थी। रो रहे थे कि हम क्या करें, अभी समय विपरीत है, हमने अपना 'प्रोटैस्ट' कर दिया है। कांग्रेसी बंधु इसे पढ़ें और अपना सर पीटें।

नेहरू रोते क्यों न ? 1962 के युद्ध में उन्होंने हमारी दुर्गति करवा दी। चीन के नाम से रूह कांप रही थी। इसकी सारी दांस्ता तब ले. जनरल वी.एम. कौल ने अपनी किताब "Untold Story" में बयान कर दी। उसे भी आज पढ़ा जाना चाहिए लेकिन किसे फिक्र है जो इन दस्तावेजों में जाए ? नेहरू का 1964 में निधन हो गया।

1965 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण कर दिया। तब तक लाल बहादुर शास्त्री की कृपा से हम में बड़ा गुणात्मक फर्क आ गया था। हमने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखवा दिए। हमारी सेनाएं लाहौर तक जा पहुँचीं। उन्होंने कच्छ के रण में हमारा एक हिस्सा कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान ने चाल चली। हमारे परममित्र कोसीजिन से मिलकर अयूब ने ताशकंद में समझौता किया। हमने उनका सारा भू–भाग छोड़ दिया, उन्होंने कच्छ में आज तक हमारी जमीन न छोड़ी। क्यों ? हमने धर्मनिरपेक्ष तरीके से इसका प्रोटैस्ट किया। 1971 में फिर वही तारीख दुहराई गई।

हम चाहते तो शिमला समझौता में अपना कश्मीर वापस ले सकते थे, पर इंदिरा जी की धर्मनिरपेक्षता आड़े आ गई। तब से लेकर आज तक कश्मीर जल रहा है। आज एक धर्मनिरपेक्ष सरकार हमारे देश में वजूद में आ गई है लेकिन इन 30–32 वर्षों में कश्मीर में क्या हुआ इसका हाल सुनें। कश्मीर घाटी से 2.14 गुना क्षेत्रफल जम्मू का है। कश्मीर घाटी से 4.35 गुना क्षेत्रफल लद्धाख का है। उस राज्य की 90 प्रतिशत आय जम्मू और लद्धाख से है। 10 प्रतिशत घाटी से है। सम्पूर्ण आय का 90 प्रतिशत हिस्सा घाटी में खर्च किया जाता है। कारण क्या है ? हमें इस बात का मलाल नहीं कि 3 लाख हिन्दू क्यों निकाल दिये गए। हमें यह मलाल नहीं कि बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। पर हमें इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है कि–

- वहाँ दो नागरिकताएं कायम रहें।
- अनुच्छेद 370 कभी न हटे।
- भारत का संविधान लागू न हो।

- वहाँ कोई जमीन न खरीद सके।
- भारत का कानून लागू न हो।
- वहाँ की बेटी भारत में कहीं शादी करें तो नागरिकता खो बैठे, और पाकिस्तान में करें तो वह यहाँ का नागरिक हो जाए।

जम्मू–कश्मीर की स्वायत्तता प्रस्ताव हमारी सरकार के पास है। अगर हमारी सरकार की धर्मनिरपेक्षता ने फिर जोर मारा, तो हम सिर्फ 'अभिन्न अंग' रह जाएंगें, और हमारा प्यारा कश्मीर De-Facto पाकिस्तान हो जाएगा और हमारे पास De-Jure कश्मीर ही रहेगा। हम तब इस अभिन्न अंग को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, ओढ़ेंगे, बिछाएंगे और चरखे के गुण गाएंगे। जय बापू की–जय गांधी की।

अफसोस ! एक अरब 25 लाख लोगों का यह मुल्क इतना मोहताज हो गया कि प्राचीन गौरव और परम्पराएं भूल गया। धिक्कार है इस राष्ट्र के धरती पुत्रों पर।

मानसिक रूप से इस राष्ट्र को 'निर्णायक जंग' के लिए तैयार करना होगा।

''जब किसी जाति का अहं चोट खाता है।
पावक प्रचंड़ होकर, बाहर आता है।
यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है।
आहत भुजंग है, सुलगा हुआ अनल है।'' (क्रमशः)

इस देश में हमेशा षडयंत्र के तहत हिन्दुओं की आस्था पर करारी चोट की जाती रही है। हिन्दुओं के आस्था स्थलों की पहचान और हिन्दुओं के आराध्य देवों का अपमान किया जाता रहा है। पहले तो अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में इतिहास से छेड़छाड़ की और हिन्दुओं को पिछड़े, भ्रष्ट, कायर और दकियानूसी, पाखंडी तथा जातिवादी सिद्ध करने का प्रयास किया। मुस्लिम आक्रांताओं के काले कारनामों पर पर्दा डाला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कांग्रेस के अनेक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं और वामपंथियों ने इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने वामपंथी विचारधारा के डा. नुरुल हसन को केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का पद सौंपा। डा. हसन ने तुरन्त इतिहास तथा पाठ्य पुस्तकों के विकृतिकरण का काम शुरू किया। वामपंथी इतिहासकारों और लेखकों को एकत्रित कर इस काम को अंजाम देना शुरू किया।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का गठन किया गया और पाठ्य पुस्तकों में हिन्दुओं के बारे में अनर्गल बातें लिखी गईं। गोरक्षा के लिए भारतीयों ने अनेक बलिदान दिए। इसके बावजूद छात्रों को यह पढ़ाया गया कि आर्य गोमांस का भक्षण करते थे। हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भ्रामक ढंग से वर्णित किया गया। प्रो. सतीश चन्द्र द्वारा लिखित एनसीईआरटी की कक्षा 11 वीं की पुस्तक 'मध्यकालीन भारत' में लिखा गया–

''गुरु तेग बहादुर ने असम से लौटने के बाद शेख अहमद सरहिन्द के एक अनुयायी हाफिज आमिद से मिलकर पूरे पंजाब प्रदेश में लूटमार मचा रखी थी और सारे प्रांत को उजाड़ दिया था।''

''गुरु को फांसी उनके परिवार के कुछ लोगों की साजिश का नतीजा थी, जिसमें और लोग भी शामिल थे, जो गुरु के उत्तराधिकार के विरुद्ध थे। किन्तु यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से इसलिए नाराज था, क्योंकि उन्होंने कुछ मुसलमानों को सिख बना लिया था।''

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गुरु तेग बहादुर जैसी दिव्य विभूति को लुटेरा बताना और औरंगजेब के अत्याचारों की घटना पर पर्दा डालने का प्रयास करना अक्षम्य अपराध ही है। छद्म धर्म निरपेक्षता के ठेकेदारों ने हिन्दू समाज की गलत तस्वीर पेश की। जब केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने पाठ्य पुस्तकों से गुरु तेग बहादुर, भगवान महावीर और अन्य महापुरुषों पर आरोप लगाने वाले अंश

हटवाने का प्रयास किया तो धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने बवाल मचाना शुरू कर दिया और आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है।

इस बवाल के बीच कट्टरपंथी कभी सरस्वती वंदना को इस्लाम विरोधी बताकर स्कूलों का बहिष्कार करते रहे तो कभी वे अपने बच्चों को ग से गणेश पढ़ाने की बजाय ग से गधा पढ़ाने की सीख देते रहे। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविन्द सिंह जी और वीर सावरकर आदि के प्रेरक जीवन चरित्रों से छात्रों को वंचित किया जाता रहा। प्रफुल्ल बिदवई जैसे लेखकों ने अपने आलेख Fight Hindutva Head on में Poisonous Hindutva शब्द का इस्तेमाल किया था यानी जहरीला हिन्दुत्व। मैंने तब भी सवाल किया था–

उन्माद और नृशंसता की राजनीति की झीनी चादर देकर किसने ऐसा बना दिया कि भारत में हिन्दुत्व को जहरीला कहा जा रहा है ?

तथाकथित कुछ अंग्रेजीदां बुद्धिजीवियों ने इस राष्ट्र के हिन्दुत्व को घृणा, विद्वेष, क्रूरता का पर्याय न केवल स्वीकार किया बल्कि बार–बार ऐसा लिखा भी। (क्रमशः)

मैंने एक बार नहीं अनेक बार लिखा है कि उन्माद की हिन्दुत्व में कोई जगह नहीं। उन्माद की भाषा मत बोलो, लाखों वर्ष की कालजयी विरासत पर कलंक मत लगाओ। मैंने बार–बार इस बात को दोहराया कि चाहे हिन्दू का जुनून हो चाहे मुस्लिम का जुनून हो, जब भी मारे जाते हैं निर्दोष ही मारे जाते हैं, जो गलत है। इस्लामी आतंकवाद पर भी मेरा यही कहना है कि प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने वाले इस्लाम के अनुयायियों को यह शोभा नहीं देता। किसी भी लेखक ने 'जहरीला इस्लाम' कभी नहीं लिखा, ऐसे में कुछ उन्मादियों को जहरीला हिन्दुत्व कहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। वह अपने भीतर झांकें और खुद का विश्लेषण करें।

मैं छद्म बुद्धिजीवियों से कहना चाहूंगा कि हिन्दुत्व को समझना है तो वेद की ऋचाओं से समझें, उपनिषदों के मंत्रों में झांक कर देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्र से जानें, श्रीकृष्ण की गीता में इस दर्शन को पहचानें, शिवाजी और बंदा बहादुर का चरित्र पढ़ें, लेकिन अफसोस इस राष्ट्र में भगवान राम को भी अपमानित किया गया। भारत और श्रीलंका को जोडने़ वाले पुल श्रीराम सेतु को तोडने़ का प्रयास किया गया और हद तो तब हो गई जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने जैसी जघन्य राजनीति शुरू कर दी। जब प्रबल विरोध हुआ तो सरकार को हलफनामा वापस लेना पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में भी भगवान राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की गईं जो हिन्दू समाज के लिए असहनीय हैं।

शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति ने देश के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें यह निवेदन किया गया था कि बी.ए. (आनर्स) इतिहास के द्वितीय वर्ष में एक निबंध पढ़ाया जा रहा है जिसका शीर्षक है 'थ्री हण्ड्रेड रामायणा वीथ फाइव एक्जाम्पल'। निबंध के लेखक हैं ए. के. रामानुजन। इस निबंध में रामायण के सम्मानित चरित्रों जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, अहिल्या आदि के विषय में अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसी निबंध में अन्य सामग्री के अतिरिक्त निम्नलिखित बातें पढ़ाई जा रही थीं–

रावण और मंदोदरी की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन्हें आम खाने को दिया। गलती से सारा आम रावण ने खा लिया और उसे गर्भ ठहर गया। दुःख से बेचौन रावण ने छींक मारी और सीता का जन्म हुआ। सीता रावण की पुत्री थी। उसने उसे जनकपुरी के खेत में त्याग दिया।

हनुमान छुटभैया एक छोटा सा बंदर था एवं कामुक व्यक्ति था। वह लंका के शयनकक्षों में स्त्रियों और पुरुषों को आमोद–प्रमोद करते बेशर्मी से देखता फिरता था।

रावण का वध राम से नहीं लक्ष्मण से हुआ।

रावण और लक्ष्मण ने सीता के साथ व्यभिचार किया।

माता अहिल्या को यौन की एक मूर्ति बताया गया है, जिसका इन्द्र के साथ लज्जापूर्ण ढंग से यौन व्यभिचार दर्शाया गया है।

ए.के. रामानुजन द्वारा लिखित निबंध 'थ्री हण्ड्रेड रामायणा' एक पुस्तक में सम्मिलित था जिसका नाम था 'मैनी रामायण'। यह पुस्तक पौला रिचमेन (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी) द्वारा सम्पादित की गई थी। सम्पादक ने अपनी पुस्तक में पुस्तक के उद्देश्य स्पष्ट किए थे। उनका कहना था कि यह पुस्तक रामानंद सागर द्वारा प्रदर्शित 'रामायण' टी.वी. सीरियल के अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव को निरस्त करने के लिए लिखी गई है।

शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति ने सन् 2008 में पुस्तक के प्रकाशक आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, लंदन से सम्पर्क किया तथा निबंध के विषय में अपनी आपत्ति बताई और कहा कि पुस्तक में हिन्दू देवी–देवताओं का अपमान किया गया है। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने खेद प्रकट किया, माफी मांगी तथा आश्वासन दिया कि उनका उद्देश्य हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने पुस्तक को वापस लेना स्वीकार किया। इसकी सूचना उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय को भी दी किन्तु इतिहास विभाग ने इसका संज्ञान नहीं लिया तथा अनधिकृत रूप से निबंध को अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाना जारी रखा।

समिति ने न्यायालय से प्रार्थना की थी कि इस निबंध को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में कुछ विद्वानों की राय ली जाए। विद्वानों की राय विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल के सामने प्रस्तुत की जाए। कौंसिल के निर्णय के अनुसार उपकुलपति अग्रिम कार्यवाही करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही करके पूरे तथ्य एकेडेमिक कौंसिल की बैठक में प्रस्तुत किए। सदस्यों ने भी अपने–अपने विचार व्यक्त किए। कौंसिल ने इन विचारों का गम्भीरता से अध्ययन किया। कौंसिल के समक्ष यह तथ्य भी लाया गया कि उक्त निबंध केवल 2009 तक के लिए पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत था और सन् 2009 के पश्चात् उसे अनधिकृत रूप से पढ़ाया जाता रहा है। विषय के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एकेडेमिक कौंसिल ने विवादित निबंध को पाठ्यक्रम से हटाने का निर्णय लिया।

प्रख्यात विद्वान हृदय नारायण दीक्षित लिखते हैं कि जीवंत इतिहास बोध में ही राष्ट्र का अमरत्व है और विकृत इतिहास में राष्ट्र की मृत्यु। श्रीराम भारत के मन का रस और छंद हैं। रामानुजन के विवादित निबंध को दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग हिन्दू धर्म के खिलाफ कुत्सित षड्यंत्र है।

इतने वर्षों से बच्चों को इतिहास की कक्षा में अश्लील कथा पढ़ाई जाती रही और भगवान राम का अपमान किया जाता रहा, हिन्दुओं की सहनशीलता को दाद तो देनी ही पड़ेगी। (क्रमशः)

देश बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अगर जल्द सही दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो राजनीतिक पार्टियां वोट के लालच में सामाजिक ढांचे की जड़ों में इतना जहर घोल देंगी कि सभ्य व धर्मनिरपेक्ष नागरिकों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। देश के स्वतंत्र होने के बाद यह आवश्यक था कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया था कि सरकार को प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए, लेकिन जब भी कभी समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रश्न खड़ा होता है मुस्लिम और ईसाई वोटों के लालची कांग्रेस व अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल स्वर में स्वर मिला कर इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं।

13 जुलाई, 2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में निर्णय देते हुए कहा था कि यह अत्यंत दुःख की बात है कि स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद भी संविधान के नीति–निर्देशक सिद्धांतों के तहत आने वाले अनुच्छेद 44 पर अमल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि समान

नागरिक संहिता लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण निर्णय आते ही आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड और कट्टरपंथियों ने शोर–शराबा मचाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों और अन्य दलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया।

भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका उल्लेख होते ही राजनीतिक क्षेत्र में भूचाल आ जाता है। देश के लिए चाहे वे कितने ही अधिक महत्वपूर्ण हों परन्तु राजनीतिक क्षेत्र के लोग अपने सत्ता स्वार्थ के कारण उनकी निरंतर उपेक्षा करते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक मुद्दा है समान नागरिक संहिता का, जिसका नाम लेना भी भारतीय राजनीति में अपराध समझा जाने लगा है परन्तु भारतीय संविधान एवं न्यायपालिका समान नागरिक संहिता को देश की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक समझती है। ऐसी परिस्थिति में जब संवैधानिक उत्तरदायित्व एवं न्यायालय का निर्णय राजनीतिज्ञों की दृष्टि में अपराध बन जाए तब देश के नागरिकों को इसके विषय में जानना एवं निर्णय लेना अनिवार्य हो जाता है। अतः इस दृष्टि से निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

दुनिया के किसी भी अन्य देश में दोहरी कानून व्यवस्था नहीं तथा भारत के अतिरिक्त किसी भी दूसरे देश के नागरिकों के लिए अलग–अलग कानून का विधान भी नहीं। यूरोप एवं अमरीका समेत सभी पश्चिमी राष्ट्रों में वहां रहने वाले नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। वहां पंथ, जाति या क्षेत्र के आधार पर किसी विशेष कानून का विधान नहीं किया गया। दूसरी तरफ अरब के उन मुस्लिम राष्ट्रों में भी अलग कानून की व्यवस्था नहीं है जहां शरीयत एवं कुरान के कानून मान्य हैं। वहां के अन्य धर्मावलम्बियों के ऊपर भी वही कानून लागू होते हैं। एकमात्र भारत ही ऐसा राष्ट्र है जहां मुस्लिम मतावलम्बियों के लिए नागरिक कानून से अलग शरीयत कानून लागू होता है। उन पर भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होते। दूसरी तरफ सनातनी हिन्दू, बौद्ध, जैन तथा सिखों पर संसद द्वारा बनाई गई एक समान नागरिक संहिता लागू होती है, जिसे हिन्दू लॉ कहते हैं। एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही शासन द्वारा शासित नागरिकों पर भिन्न–भिन्न कानून के लागू होने का यह अद्भुत उदाहरण केवल भारत में ही मिलता है। (क्रमशः)

भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ का काफी दुरुपयोग होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में चार विवाह की छूट एवं तलाक लेने की सरल प्रक्रिया के कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव एवं अत्याचार तो होते ही हैं, अन्य धर्मों के लोग भी दूसरी शादी के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक शिक्षण संस्थान चलाने की छूट है और सरकार इन शिक्षण संस्थानों को करोड़ों रुपए का अनुदान भी देती है।

बदलती दुनिया और महिला अधिकारिता के प्रति जन जागृति आने के बाद कई मुस्लिम देशों ने अपने कानूनों में सुधार किया है। सीरिया, मिस्र, तुर्की, मोरक्को और ईरान में भी एक से अधिक विवाह प्रतिबंधित हैं। ईरान, दक्षिण यमन और कई देशों में मुस्लिम कानूनों में सुधार किया गया। हाल ही में सऊदी अरब के शासकों ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया है और सऊदी शासक महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए भारतीय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी 1961 में दूसरे विवाह पर रोक लगाते हुए एक सरकारी कौंसिल की स्थापना की थी तथा दूसरी शादी के इच्छुक व्यक्ति को उचित कारण बताकर अनुमति लेना जरूरी बना दिया था। भारत में कई मौके आए जब अदालतों ने शरीयत कानून के विरुद्ध निर्णय दिया, परन्तु भारत के राजनीतिज्ञों ने वोट बैंक के लालच में अदालतों के फैसलों की अवमानना की।

मैं यहां कुछ प्रकरणों का उल्लेख करना चाहूंगा।

मोहम्मद अदमद खान बनाम शाहबानो बेगम और अन्य (ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 945) के प्रकरण में सन् 1985 में शाहबानो नाम की मुस्लिम महिला अपने पति द्वारा तलाक दिए जाने पर न्यायालय में गई। उच्चतम न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय सुनाते हुए उसके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश देते हुए यह सुझाव दिया कि मुस्लिम समुदाय को पर्सनल लॉ में सुधार के लिए

आगे आना चाहिए। एक 'समान नागरिक संहिता' असमानता को मिटाकर राष्ट्रीय एकता के लिए सहायक होगी परन्तु 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संसद में विधेयक लाकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ही पलट दिया और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण–पोषण के लिए सरकारी धन देने की व्यवस्था कुछ विशेष परिस्थितियों में की गई तथा पति को सभी प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया।

दूसरा प्रकरण श्रीमती जोर्डेन डेंगडेह बनाम श्री एस.एस. चोपड़ा (ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 935) का है। विदेश सेवा में कार्यरत इस ईसाई महिला ने क्रिश्चियन विवाह कानून 1972 के अन्तर्गत एक सिख पुरुष से विवाह किया था। 1980 में अपने साथ की जा रही क्रूरता के आधार पर उसने तलाक की मांग की, परन्तु उसके तलाक की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई, तो उसने उच्चतम न्यायालय में पति के शारीरिक रूप से अक्षम होने के आधार पर तलाक की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद पर निर्णय सुनाते हुए भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय को स्पष्ट रूप से दिशा–निर्देश जारी किया कि विवाह अधिनियम में पूर्णतः सुधार होना चाहिए तथा जाति एवं धर्म की परवाह न करते हुए एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि न्यायालय शीघ्र एवं अनिवार्य रूप से समान नागरिक संहिता की आवश्यकता अनुभव करता है। बाकी दो मुख्य प्रकरणों का उल्लेख मैं कल के सम्पादकीय में करूंगा। (क्रमशः)

भारत में सरकारें बदलती रहीं। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गठबंधन होते रहे, सरकारें बनती रहीं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद देश में ही नहीं देश के बाहर भी यह संदेश भेजने की प्रक्रिया का सूत्रपात किया गया कि अटल जी की सरकार एक साम्प्रदायिक किस्म की सरकार थी, अब यहां धर्मनिरपेक्ष सरकार का वर्चस्व हो चुका है। धर्मनिरपेक्षता क्या है इसकी कानूनी या संवैधानिक व्याख्या आज तक नहीं हो सकी। कानून का नया विद्यार्थी भी जब भारत में संविधान की ओर एक विहंगम दृष्टि डालता है तो पाता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत में 1976 से पूर्व धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व या अधिकारों से सर्वधर्म समभाव झलकता था कि नहीं, मैं इस बहस में नहीं पडऩा चाहता पर यह शब्द धर्मनिरपेक्ष 42 वें संशोधन के बाद प्राक्कथन में आया।

मैं आगे बढऩे से पहले दो और प्रमाणों को पेश करना चाहूंगा। एक और प्रकरण शायरा बानो नाम की मुस्लिम महिला का है, जिसने अपने एवं अपने बच्चों के भरण–पोषण के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा 1987 (ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1107) में खटखटाया। न्यायालय ने शाहबानो बेगम के केस का उदाहरण देते हुए भरण–पोषण का आदेश दिया। एक और मामला 11 मई, 1995 में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का है। एक हिन्दू महिला जिसके पति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दूसरी शादी कर ली थी, की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि हिन्दू कानून के अनुसार धर्मांतरण के पश्चात् पूर्व शादी समाप्त नहीं होती तथा पुनर्विवाह धारा 494 के अनुसार दंडनीय है। विवाह, तलाक और पंथ यह स्वभाव और बहुत कुछ आस्था और विश्वास का विषय है, सुविधा का विषय नहीं है।

एक हिन्दू कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता है या एक मुसलमान मंत्र पढ़कर हिन्दू बन जाता है। यह भरोसा, विश्वास और आस्था एवं तर्क का विषय है। किसी के द्वारा पंथ का घटिया दुरुपयोग तुरन्त रोका जाना चाहिए, मतान्तरण सुविधा के लिए नहीं होना चाहिए। यह बहुत गम्भीर, सामाजिक, राजनीतिक अपराध है। न्यायाधीशों ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्पीड़ित लोगों की सुरक्षा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता दोनों के लिए अत्यावश्यक है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि जिन लोगों ने विभाजन के पश्चात् भारत में रहना स्वीकार किया, उन्हें स्पष्ट रूप से यह जान लेना चाहिए कि भारतीय नेताओं का विश्वास दो राष्ट्र या तीन राष्ट्र के सिद्धांत में नहीं था और भारतीय गणतंत्र में मात्र केवल एक राष्ट्र है। कोई भी समुदाय पंथ के आधार पर पृथक अस्तित्व बनाए रखने की मांग नहीं कर सकता। विधि ही वह प्राधिकरण है न कि पंथ

जिसके आधार पर पृथक मुस्लिम पर्सनल लॉ को संचालित करने एवं जारी रखने की स्वीकार्यता मिली। इसलिए विधि उसे अधिक्रमित कर सकती है या उसके स्थान पर समान नागरिक संहिता की स्थापना कर सकती है।

न्यायालय के निर्णय में प्रधानमंत्री को संविधान के अनुच्छेद 44 पर स्वच्छ दृष्टि डालने को कहा गया, जिसमें राज्य के द्वारा सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि विधि आयोग को स्त्रियों के वर्तमान मानवाधिकारों को दृष्टि में रखते हुए एक विस्तृत समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने को कहा जाए। बीच में कालखंड में एक समिति बनाई जानी चाहिए जो इस बात का निरीक्षण करे कि कोई मतान्तरण के अधिकार का दुरुपयोग न कर सके। ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक जो धर्मांतरण करता है वह पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को भी यह निर्देश दिया कि उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा अगस्त 1996 तक इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त होना चाहिए कि न्यायालय के निर्देश के पश्चात् केन्द्र सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने हेतु कौन से कदम उठाए गए और क्या प्रयास किए गए, जो पिछले चार दशकों से शीत गृह में पड़ा हुआ है लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं किया। (क्रमशः)

संविधान की आत्मा को पहचानने वाले, बड़े संविधानविदों का कहना है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की जरूरत नहीं थी, यह संविधान की आत्मा में निहित भाव था, परन्तु श्रीमती इंदिरा गांधी को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसा करना पड़ा। श्रीमती गांधी ने ऐसा क्यों किया ? लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ धर्म भी जुड़ा है अतः आइए बिना पूर्वाग्रह के इस ओर राष्ट्र के हित में एक दृष्टि डालें।

आज सारे विश्व के नीतिज्ञ इस बात को मानते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रीकृष्ण से बड़ा राजनीति का जानकार कोई दूसरा नहीं था। विद्वानों की इस धारणा के बाद दूसरा नम्बर आता है कौटिल्य का और शेष आधे में विश्व के सभी राजनीतिज्ञ समेटे जा सकते हैं।

बस केवल ढाई राजनीतिज्ञ ही इस पृथ्वी पर हुए हैं। श्री कृष्ण ने विषम से विषम परिस्थिति में यह नहीं कहा कि मैं इस पृथ्वी पर 'राजनीति' की स्थापना करने को अवतरित हुआ। उनका स्पष्ट उद्घोष है–

''धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे–युगे''
मैं बार–बार आता हूं ताकि धर्म की स्थापना हो सके।
इस धर्म में एक बात और छिपी है–
''साधुओं का त्राण और दुष्टों का नाश''

दूसरी बात जो आज विचारणीय है और सनातन वाङ्गमय के हर आराधक को जाननी होगी वह है भगवान के ये वचन कि 'अपने धर्म में रहकर मृत्यु को प्राप्त होना अच्छा है, पर दूसरों का धर्म विनाशकारी है, वह भयावह है।'' यह उक्ति विश्व के सबसे बड़े नीतिज्ञ की है। क्या यहां भगवान कृष्ण को हम साम्प्रदायिक कहें और अपनी ओढ़ी हुई धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर उन्हें नकार दें। क्या यह उचित होगा ?

थोड़ा सा इस बात को इसलिए समझना होगा क्योंकि भारत में जो कानून बनते हैं, उनका सबसे बड़ा स्रोत धर्म है। 'स्वधर्म' की बात भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि जन्म के साथ ही मनुष्य के संस्कार एक विशेष दिशा में बनने शुरू हो जाते हैं और उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा का निर्माण होता है।

एक विशुद्ध आर्य समाजी परिवार का उदाहरण लें। उस परिवार में उत्पन्न बालक को वेदों में अगाध निष्ठा होगी, वह एक ही ईश्वर को मानने वाला होगा, स्वामी दयानंद के विचारों पर आस्था रखने वाला होगा, स्पष्टवादी होगा। अगर ऐसे किसी युवक को आप यह कहें कि, ''तुम कल

से पांचों वक्त नमाज पढ़नी शुरू कर दो'' तो यह उसके लिए विनाशकारी कृत्य हो जाएगा। हो सकता है वह विक्षिप्त हो जाए। ऐसा ही किसी आस्थावान मुस्लिम को यह कहें कि वह रोज सत्यनारायण की कथा घर पर करवाए तो उसकी क्या हालत होगी ? वह असहज हो जाएगा।

ऐसी बात नहीं कि इनके मन में कोई द्वेष है, बात यह है कि यह स्वधर्म के विरुद्ध है। वेदवाणी है कि केवल स्थित प्रज्ञ या ब्रह्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति की दृष्टि ही ऐसी हो सकती है। भगवान कहते हैं, ''पर धर्मो भयावहः।'' ऐसे लोग जो यह दिखावा करते हैं कि वह सारे धर्मों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, या तो वह ब्रह्मज्ञानी हैं या पहले दर्जे के बेईमान व धूर्त। 'धर्मनिरपेक्ष' कौन है इसका फैसला आप स्वयं करें। किसी धर्म का अपमान न करो, विवेकानंद कहते हैं, परन्तु अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्मनिरपेक्ष शब्द बड़ा भयावह है, क्योंकि इसे तथा कथित राजनीतिज्ञ अस्तित्व में लाए हैं इससे बचना होगा। यह प्राणघातक है।

धर्मनिरपेक्षता, देश की एकता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सौहार्द की दुहाई राजनीतिक दल और उनके नेता दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें धर्म, देश, राष्ट्र की न तो जानकारी है और न ही चिंता। कांग्रेस, कम्युनिस्टों, तीसरे और चौथे मोर्चे के नेता और अनेक क्षेत्रीय नेता ऐसा कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही मजहबी संकीर्णता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जितना इन्होंने फैलाया है उतना किसी ने नहीं फैलाया। अल्पसंख्यकों के वोट थोक में बटोरने के लिए बहुसंख्यक हिन्दुओं की आस्थाओं पर लगातार आघात करना और राष्ट्रीय अस्मिता पर प्रहार करना इनकी आदत बन चुका है। जो कुछ आज हो रहा है उसकी शुरूआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। (क्रमशः)

अंग्रेजों के शासनकाल में 1871 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का गठन अंग्रेजों ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया था। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए तत्कालीन भारतीय राज्य और हिन्दुओं को दोषी ठहराया था। जिस प्रकार हंटर कमेटी की सिफारिशों के गर्भ में अलगाववाद का बच्चा पलता रहा। वह बच्चा आज बड़ा हो चुका है।

मनमोहन सिंह सरकार ने 2005 में जस्टिस राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन करवाया। सच्चर कमेटी ने जो सिफारिशें कीं वस्तुतः वह तुष्टीकरण का पुलिंदा मात्र हैं। सच्चर कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि मुस्लिम बहुल चुनाव क्षेत्र मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। यदि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हैं तो उन्हें भी रद्द कर दिया जाए। सरकार ने भी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को यथावत लागू करने की बात मान ली। इस पर संसद में न तो बहस कराई गई न ही कोई कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) पेश की गई। आखिर सरकार को जल्दी किस बात की थी, जबकि रिपोर्ट में मुसलमानों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि तथा शिक्षा की उपेक्षा का उल्लेख तक नहीं किया गया। मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण सब जानते हैं। इस देश में जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर रहे। मोहसिना किदवई, नजमा हेपतुल्ला और अनेक मुस्लिम महिलाएं उच्च पदों पर रहीं। सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य मुस्लिम मंत्री देश की सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यही मनमोहन सरकार का एजेंडा है, जो सच्चर कमेटी की सिफारिशों के रूप में सामने आया है।

सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, जरा उस पर भी नजर डालें–कमेटी ने कहा है कि मुसलमान अपने को सर्वत्र असुरक्षित महसूस करता है। नकाबपोश मुस्लिम महिलाओं तथा दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों को बहुसंख्यक हिन्दू जनता घृणा और संदेह की दृष्टि से देखती है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करते हैं। मुसलमानों के साथ पूरी मशीनरी धार्मिक भेदभाव करती है। नौकरियों के चयन में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। वोटर लिस्ट से जानबूझकर सरकारी मशीनरी मुसलमानों के नाम काट देती है। प्राथमिक स्तर

पर उर्दू को प्रोत्साहन न मिलने से नवोदय की परीक्षा में मुसलमान बच्चे प्रवेश नहीं पाते हैं। इतनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही मुस्लिमों की बदहाली दूर करने के लिए सच्चर ने जो सुझाव दिए हैं वे भी कम हास्यास्पद नहीं हैं। उनके अनुसार इस्लाम में ब्याज का लेना या देना हराम है इसलिए बैंकों को मुस्लिमों के लिए अपनी व्यवस्था बदलनी चाहिए। जिले की सभी कल्याणकारी योजनाओं का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया जाए तथा इसके क्रियान्वयन के लिए मुसलमानों की एक कमेटी बना दी जाए। मदरसा शिक्षा बोर्ड को सीबीएसई के समान मान्यता दी जाए, जिसमें मदरसों की आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षकों का पूरा खर्च केन्द्र सरकार उठाए किन्तु शिक्षकों की नियुक्ति और पाठ्यक्रम निर्धारण में उसका कोई हस्तक्षेप न हो।

श्री किदवई, श्री हाशमी और श्री कुरैशी तथा जावेद हुसैन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। उन्होंने तो कभी मुसलमानों से भेदभाव की शिकायत नहीं की। सच तो यह है कि जिन मुसलमानों ने ऊंचे ओहदे सम्भाले वे काफी उच्च शिक्षा प्राप्त रहे। आश्चर्य होता है कि सच्चर कमेटी को इस लोकतंत्र की खासियत नजर नहीं आई, बल्कि उन्हें शिकायतें ही नजर आईं। पुलिस सेवा, नौकरशाही, लोकसेवा आयोग, अस्पताल, चिकित्सक तथा शिक्षा जगत में भी मुस्लिम उच्च पदों पर रहे तो हिन्दुओं द्वारा उनसे भेदभाव करने की बात को सच नहीं माना जा सकता। (क्रमशः)

यह इस देश का दुर्भाग्य रहा कि 1895 में एक अंग्रेज लार्ड एलन ओक्टावियन ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस ने शुरू से ही हिन्दुत्व विरोधी रवैया अपनाया और देश की आजादी के साथ विभाजन को भी स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मजहब के आधार पर देश विभाजन के बाद भी अपनी हिन्दुत्व विरोधी व मुस्लिम तुष्टीकरण की राष्ट्र घातक नीति को नहीं छोड़ा। यह सिलसिला आज तक चल रहा है। मनमोहन सरकार ने तुष्टीकरण की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। सरकार ने 2005 से केन्द्रीय योजना आयोग की वार्षिक योजनाओं में अनुसूचित जाति के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना समाप्त कर दी थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बना दिया।

27 जून, 1961 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण न किया जाए। इसी प्रकार 1936 में पूना पैक्ट के बाद जब अंग्रेज सरकार ने अनुसूचित जाति की पहली सूची जारी की थी तो धर्मांतरित ईसाई व मुसलमानों की जातियां उसमें शामिल करने की मांग उठाई गई थी, जिसे अंग्रेज हुकूमत ने अस्वीकार कर दिया था। किन्तु मनमोहन सरकार इसमें भी नहीं चूकी और सच्चर कमेटी के बाद रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन करके धर्मांतरित ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का आरक्षण करने हेतु पैरवी प्रारम्भ कर दी। प्रारम्भिक तौर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह ने भी इसका विरोध किया किन्तु सोनिया गांधी जैसों की सहमति देखकर शांत हो गए।

वस्तुतः 16 दिसम्बर, 2004 को कैथोलिक विशप कांग्रेस आफ इंडिया ने नई दिल्ली में 34 ईसाई और 14 गैर ईसाई अर्थात कुल 48 सांसदों की बैठक बुलाई, जिनमें धर्मांतरित ईसाई और मुसलमानों को अनु. जाति के आरक्षण का लाभ दिलवाने संबंधी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने का विचार तय हुआ। इस याचिका के संदर्भ में केन्द्र सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की, जिसका बयान सरकार के वकील ने कोर्ट में दिया, इस पर न्यायालय ने सहमति का आधार जानना चाहा। आधार बताने के लिए बड़े ही नाटकीय ढंग से रंगनाथ मिश्र आयोग बनाकर सरकार ने 10 मई, 2007 को मनमानी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जबकि सुप्रीम कोर्ट पंजाब राव बनाम मेश्राम (1965), रामालिंगम बनाम अब्राह्म (1967), सूसाई बनाम भारत संघ (1987) आदि विवादों से पहले ही इस विषय पर असहमति व्यक्त कर चुका है, लेकिन केन्द्र सरकार की नीयत कैसी विचित्र है कि 10 मार्च, 2006 को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अनु. जाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था को छात्रों के प्रवेश के संबंध में समाप्त कर दिया गया जबकि

धर्मांतरित ईसाई व मुसलमानों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवाने की पैरवी प्रारम्भ कर दी गई। सचमुच में यह धर्मांतरण को प्रेरित करके भारत में हिन्दू जनसंख्या कम करने का गम्भीर षडयंत्र है।

सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के चलते अल्पसंख्यकों का झुकाव कांग्रेस की तरफ ही रहा जबकि हिन्दू राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ ही रहा। यही कारण रहा कि देश की सत्ता पर ऐसे लोग और दल काबिज हो जाते हैं जिन्हें हिन्दुत्व, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और अपने देश के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का ज्ञान ही नहीं होता। केन्द्र की सरकारों ने भारत विरोधी तत्वों को खुद इस देश में पनाह दी। भारत में 3 करोड़ बंगलादेशी घुसपैठिये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने सरकारी सहयोग से अपनी सम्पत्तियां बना ली हैं। हिन्दुओं के धर्मस्थलों और शक्तिपीठों का सरकारीकरण किया जा रहा है, लेकिन दूसरों के धर्मस्थलों पर कोई नियंत्रण नहीं। सरकारी खजाने से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के रखरखाव पर खर्च होता है।

सरकार की नीतियों को लेकर अदालतों का दृष्टिकोण काफी कड़ा रहा है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को न लागू करने के संबंध में केन्द्र सरकार के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाई है। उसने पूछा है कि आप गरीबी से लडना़ चाहते हैं तो फिर धर्म आड़े क्यों आ रहा है ? क्या यह समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करने का प्रयास तो नहीं है ? क्या यह कमेटी इसी काम के लिए बनी है ? क्या सरकार को सबकी भलाई के लिए पैसा खर्च करना चाहिए या किसी एक समुदाय विशेष के उत्थान के लिए। आखिर 90 मुस्लिम बहुल जिले चिन्हित कर उनमें मुस्लिमों की तरक्की के ही विशेष प्रयास क्यों किए गए हैं ? सरकार केवल अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, बहुसंख्यकों के लिए क्यों नहीं ? आप अंग्रेजों की तरह 'बांटो और राज करो' के सिद्धांत पर क्यों चलना चाहते हैं ? (क्रमशः)

धर्मनिरपेक्ष शब्द की धारणा के कारण हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र (Secular Nation) कहा जाने लगा। राष्ट्र का धर्म से कुछ लेना–देना नहीं इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यदि संविधान में शुरू से सैकुलर का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष न करके सम्प्रदाय निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कर दिया जाता तो भ्रांत धारणाएं पैदा नहीं होतीं। धर्मनिरपेक्षता को अस्त्र बनाकर हिन्दुत्व पर आघात किया जाता रहा। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अन्य दलों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमान, ईसाइयों को विशेषाधिकार दिए जाने की मांग शुरू कर दी। वोटों के लालच में इस शब्द का खुला दुरुपयोग किया जाने लगा। जब कभी हिन्दू हितों की बात हो तो उन्हें धर्मनिरपेक्षता विरोधी बताकर विरोध किया जाने लगा। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष शब्द को हिन्दू विरोध का पर्यायवाची मान लिया गया। केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने हिन्दू मठों और मंदिरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए एक आयोग बनाया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर आपत्ति करते हुए संसद में कहा था कि क्या केवल मठों और मंदिरों की सम्पत्ति का ही दुरुपयोग होता है ? क्या मस्जिदों और गिरजाघरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं होता ? क्या सैकुलर स्टेट में सबके लिए एक सा कानून नहीं होना चाहिए ?

हमारे देश में रिश्वत देना और लेना दोनों ही कानूनी अपराध हैं और इसके लिए दंड का प्रावधान भी है। आजकल 'सुविधा शुल्क' के नाम से जाने जाने वाली रिश्वत को हमारी सरकार संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन करके जनता तक पहुंचाती है तथा इस प्रकार यह वैध और प्रासंगिक बन जाता है। आजादी के समय से ही आरक्षण का हमारे देश के विकास के लिए कुछ खास जातियों और जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया था लेकिन वोट बैंक पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए और अपनी झूठी भावना के साथ जनभावना जोडने़ के लिए इसकी अवधि आज तक बढ़ाई जा रही है। सरकारें बदलीं, लेकिन न ही वोट बैंक की राजनीति खत्म हुई और न ही आरक्षण की अवधि बढ़ाने का सिलसिला थमा। अलबत्ता आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया और

इसमें कोटा भी शामिल हो गया। वोटों की राजनीति ने मंडल कमीशन को जन्म दिया और गुर्जरों ने आंदोलन कर खुद के लिए कोटा हासिल किया या यूं कहें कि सरकार से कोटा छीना। यूपीए सरकार ने तो प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण की बात कह डाली लेकिन चूंकि प्राइवेट सैक्टर पर सरकार का कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है इसलिए सरकार को इसमें असफलता ही हाथ लगी। सरकार ने प्राइवेट सैक्टर के लिए दूसरी चाल चली और घोषणा की कि सरकार सरकारी खरीद का 4 प्रतिशत उन कम्पनियों से करेगी जिनका स्वामित्व दलित और अनुसूचित जातियों के पास है।

हालांकि यह बात अलग है कि आरक्षण और कोटा जैसी सुविधाओं का लाभ असली जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाता, बल्कि क्रीमीलेयर इसका फायदा ज्यादा उठाते हैं। आज हालात यह हैं कि पढ़ाई, नौकरी, व्यापार हर क्षेत्र में आरक्षण को जगह मिली है। यहां तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी आरक्षण लागू है। यह बात समझ से परे है कि मानव जीवन से जुड़े पेशे में आरक्षण देना वोट बैंक की राजनीति के अलावा क्या हो सकता है ? इसे तो सीधे तौर पर 'राजनीतिक घूस' कहा जा सकता है।

अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए यह चुनाव जीवन—मरण का सवाल है। राहुल गांधी के भरसक प्रयासों से भी कांग्रेस के वहां पुनर्जीवित होने के आसार दिखाई नहीं देते। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा की नजरें मुस्लिम वोट बैंक पर हैं और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र छोडना चाहती है, जिससे उसे चुनावी जीत हासिल हो। मुख्यमंत्री मायावती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण की मांग की थी। बस फिर क्या था केन्द्रीय विधि मंत्री पहुंच गए लखनऊ और कर दिया ऐलान कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी इस मामले में काफी गम्भीर हैं और सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों को आरक्षण की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि सरकार सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने के लिए तैयार है। चुनावों से पहले मुस्लिमों को आरक्षण एक सीधी रिश्वत है। सवर्ण हिन्दू गरीबी में भले ही एडियां रगड़—रगड़ कर मर जाए कोई नहीं पूछता। न सरकार, न रिश्तेदार, न मित्र, कोई सहायता नहीं करता लेकिन मुस्लिमों को इस बात से सतर्क रहना होगा कि चुनाव से पहले सहानुभूति जताकर राजनीतिक दल उनसे धोखा तो नहीं कर रहे। (क्रमशः)

आज मैं चर्चा करूंगा शत्रु सम्पत्ति विधेयक की। शत्रु सम्पत्ति विधेयक को लेकर जिस तरह से साम्प्रदायिक राजनीति की गई वह काफी अशोभनीय रही। हाल ही में संसद की गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने शत्रु सम्पत्ति विधेयक को एक मत से नामंजूर कर दिया। इसकी पुरजोर वकालत कर रहे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम और विधि मंत्री सलमान खुर्शीद के लिए यह करारा झटका है। संसदीय समिति ने राजा महमूदाबाद एम.के. मुहम्मद खान का पक्ष भी सुना, जो सुप्रीम कोर्ट में शत्रु सम्पत्ति मामले में याचिकाकर्ता थे।

दरअसल गृह मंत्रालय विधेयक में किए गए बदलावों पर समिति को स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। विधेयक पर संसदीय समिति का फैसला वैसे तो देश भर की शत्रु सम्पत्तियों से जुड़ा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर होगा। वहां राजा महमूदाबाद विभाजन के समय अपने पिता के पाकिस्तान चले जाने के बाद शत्रु सम्पत्ति के तहत गई भारी—भरकम जायदाद हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। पूर्व में अदालत में उनके इस मामले को चिदम्बरम एवं खुर्शीद कानूनी सलाह भी दे चुके हैं। भाजपा सांसद वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को सौंप दी है। रिपोर्ट सभी दलों की आम राय से मंजूर की गई है, जिसमें कांग्रेस के दस सांसद भी शामिल हैं। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार उसके सुझावों के मुताबिक मौजूदा विधेयक की जगह नया विधेयक लेकर आए। समिति ने कहा है कि हजारों करोड़ रुपए की

शत्रु सम्पत्ति उन लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए, जिनका उस पर वैधानिक हक नहीं है। भारत नीति प्रतिष्ठान के अनुसार लोकनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित होता है। यह संकीर्णताओं से ऊपर होता है। न्यायालय या जनमत इसे जरूर प्रभावित करता है परन्तु कार्यपालिका एवं विधायिका से ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संदर्भ में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में ऐसी अनेक प्रवृत्तियों की उत्पत्ति हुई है जिनसे लोकनीतियों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है। इसी का उदाहरण वर्तमान विवाद है। भारत सरकार के ही दो मंत्री गृहमंत्री पी. चिदम्बरम एवं विधि, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद, इस विषय पर एक–दूसरे का प्रतिवाद करते रहे। गृह मंत्रालय की दृढ़ता को तोडने के लिए जिस राजनीतिक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया वह दशकों से भारत की राजनीति एवं नीति निर्धारकों को कमजोर करती रही है। यह है अल्पसंख्यक हित के नाम पर लोकनीतियों को पुनर्परिभाषित करने के लिए दबाव। यही हुआ शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के संबंध में। कुलीनों ने अपनी राजनीति को जमीन पर उतार कर इसे 'मुस्लिम मुद्दा' बना दिया। कार्यपालिका के विवेक एवं तर्क का स्थान क्रमशः संकीर्णता एवं भावना ने ले लिया। मुस्लिम सांसदों ने एकजुट होकर शत्रु सम्पत्ति अधिनियम से जुड़े पक्षों को मुस्लिम विरोधी बताया और राजनीति में वही परम्परागत साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण इस विषय पर भी हो गया।

विभाजन के बाद लाखों लोगों ने भारत–पाक की सीमा लांघी थी। स्वाभाविक है कि लोगों की राष्ट्रीयता भी बदली। ऐसे शरणार्थियों की सम्पत्तियों को भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों ने अधिग्रहण कर Custodian के अन्तर्गत कर दिया। उन लोगों को भी पाकिस्तान छोडने के लिए बाध्य किया जो ऐसा ही चाहते थे। इसी क्रम में भारत में Evacuee Property Act आया था। पाकिस्तान एवं बाद में बंगलादेश ने शत्रु सम्पत्तियों को अपनी–अपनी अर्थव्यवस्था के ढांचे में उपयोग कर लिया। भारत में व्यवस्था की कमजोर इच्छा–शक्ति ने इसे गैर कानूनी कब्जे एवं किरायेदारों के हवाले कर दिया। साठ के दशक तक इन सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति नहीं माना गया। जो लोग इसे मुस्लिम प्रश्न मानते हैं उन्हें शत्रु सम्पत्ति का या तो ज्ञान नहीं है या वे जानबूझकर तथ्यों को अनदेखा कर रहे हैं।

शत्रु सम्पत्ति की अवधारणा भारत में 1962 में भारत–चीन युद्ध के बाद आई जब शत्रु राष्ट्र से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जुड़े सक्रिय लोगों की सम्पत्ति सरकार ने अधिग्रहित कर ली। फिर पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ। स्वाभाविक था जो भारत–चीन युद्ध के समय हुआ था वही नीति दुहराई गई। तभी 1968 में शत्रु सम्पत्ति अधिनियम आया। राजा महमूदाबाद 1958 में स्वेच्छा से पाकिस्तान गए थे। उनकी सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति के तहत अधिग्रहित कर लिया गया। इसे अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक प्रश्न मानना देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया को भ्रमित एवं कमजोर करना है, परन्तु सरकार ने इसी कमजोरी का परिचय देते हुए अपने ही द्वारा लाए गए पहले विधेयक को निरस्त कर नया विधेयक तैयार किया। द्वितीय शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2010, जो साम्प्रदायिक राजनीति के दबाव में तैयार किया गया विधेयक है। नीति का गलत या सही होना उतना दुष्परिणामकारी नहीं होता है जितना कि संकीर्णतावादी ताकतों के दबाव में उसका निर्माण करना होता है। राष्ट्रीयता से जुड़ा यह कानून अपरिवर्तनीय होना चाहिए था। न्यायालय ने इसे घसीटकर साम्प्रदायिकता के दायरे में ला खड़ा कर दिया है। (क्रमशः)

राजनीति की क्या परिभाषा होनी चाहिए, आज की परिस्थितियों को देखकर समझना मुश्किल नहीं। राजनीति मानवता से अलग ऐसे लोगों की भीड़ की बकवास है, जिन्हें अपने गिरेबां में झांकने में कोई दिलचस्पी नहीं परन्तु दूसरों के सद्गुण भी उन्हें 'जहर' लगते हैं, अतः यह शाश्वत दुष्टता का ही पर्याय है जबकि धर्म का मतलब है–धारण करने योग्य। क्षमा, करुणा, दया, परहित, ये सब धारण करने योग्य हैं। अतः जो इन्हें धारण करता है वह धार्मिक है। ऐसे में राजनीति क्या धर्म के साथ रह सकती है ?

- **राजनीति सड़े हुए लोगों की दुर्गंध है?**
- **धर्म स्थित प्रज्ञ महापुरुषों की सुगंध है।**

अतः राजनीति और धर्म का क्या मेल ? लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी है, बाहरी वेशभूषा में एक धार्मिक व्यक्ति लग रहा है, परन्तु भीतर ही भीतर जिसके हृदय में राजनीति ही अठखेलियां करती है, मैं ऐसे लोगों को धार्मिक श्रेणी में नहीं रखता। वे निकृष्टतम हैं, ये रंगे सियार हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नीति मर्मज्ञ कौटिल्य ने जब राष्ट्र की कल्पना की तो उसमें राजनीति शब्द कहीं नहीं था। आप सारा अर्थशास्त्र देख लें। आप को राजधर्म शब्द मिल जाएगा, आपको दंड नीति मिल जाएगी, राजनीति नहीं मिलेगी।

भगवान श्रीकृष्ण जैसे अवतारी पुरुष ने भी यह कभी नहीं कहा—मैं हर युग में 'राजनीति' की स्थापना करने आता हूं। वह कहते हैं—मैं धर्म की स्थापना और दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ। जिस दिन राष्ट्र ने भगवान कृष्ण के वचनों का मर्म समझ लिया, धर्म की स्थापना हो जाएगी और स्वतः ही हो जाएगा दुष्टों का नाश भी।

भगवान के वचन हैं, 'विनाशाय च दुष्कृताम' इसलिए आज का नेता धर्म से घबराया हुआ है। खास तो हैं ये कांग्रेस के नेता और उनके दुमछल्ले। उन्हें पता है जिस दिन राष्ट्र 'धर्म प्राण' हुआ, राजनेता समाप्त हो जाएगा और उसे ऐसी जगह दफना दिया जाएगा, जहां से वह कभी निकल कर नहीं आ सके। इसी डर से उसने एक शब्द गढ़ लिया—धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप स्वयं जान लें—जो सारे मानवीय गुणों से विमुख हो, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। उसके पास मानवीय गुणों को धारण करने की शक्ति नहीं लेकिन उसने अपना एक नया धर्म बना लिया है जो धर्मनिरपेक्ष है, उसकी नजर में धर्म क्या है, उसे देखें तो आप चमत्कृत हो जाएंगे।

पुराणों के अनुसार ऐसे लोग साधारण नहीं होते। या तो ये ब्रह्मज्ञानी होते हैं या परले दर्जे के मक्कार। आम जनता के लिए राजनेता एक—दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, अपशब्द बोलते हैं, निंदा करते हैं और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। कारण एक ही है—उस हमाम की सदस्यता प्राप्त करना जहां प्रवेश करने पर राष्ट्रद्रोह भी क्षम्य है। आप अपराधी हों, तस्कर हों, घोटालेबाज हों, बदमाश हों, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिछले 64 वर्षों से यही तमाशा जारी है। सारे देश के संवेदनशील लोग घबरा गए हैं। जरा इन आवाजों को सुनिये—

तस्कर, बिल्डर माफिया, लूट, अपहरण, क्लेश
हाय! दलालों में बिका गांधी तेरा देश।
सर्कस में लंगूर ने गजब दिखलाया खेल
रेल घोटालों की चला, ब्रेक कर दिया फेल।
मंत्री पद की शपथ ले, वो बोल मुस्काय
साईं इतना दीजिए, जा में कुटुम्ब समाय।

आप जिसे चाहें वोट दें, जिसका चाहे साथ दें, चरित्र यही है। ऐसे में श्रीराम का नाम भी दिल में ही लें तो अच्छा है। न जाने कौन साम्प्रदायिकता का आरोप लगाकर आपको दूर भगा दे। (क्रमशः)

भारत में हिन्दू धर्म का बार—बार अपमान किया गया। हिन्दुओं के धर्मस्थलों का सरकारीकरण किया गया। कांग्रेस नीत गठबंधन सरकार ने हिन्दुओं के आस्था स्थलों पर आघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिन्दुओं के आराध्य देव श्रीराम द्वारा बनाए गए समुद्री सेतु श्रीराम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया गया।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्रीराम के अस्तित्व को ही नकार दिया। जब इसके विरोध में जनमानस उमड़ा तो सरकार थर—थर कांपने लगी। जब अलगाववादियों और आतकंवादियों के दबाव में आकर जम्मू—कश्मीर के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बाबा अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए दी गई भूमि वापस ले ली तो हिन्दू समाज ने एकजुट होकर

विरोध किया। इस आंदोलन में 11 हिन्दू शहीद हुए और एक हजार से अधिक लोग घायल हुए। स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान देने वाले वीर सावरकर को आजादी के बाद भी कांग्रेस ने निशाना बनाया और मौत के बाद भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

वीर सावरकर ने कहा था कि राजनीति का हिन्दूकरण और हिन्दू का सैनकीकरण करो–यह अखंड भारत की सुरक्षा का महामंत्र क्रान्तिकारियों के पथ प्रदर्शक महान देशभक्त वीर सावरकर ने भारत संतानों को देते हुए 1955 में जोधपुर में हिन्दू महासभा के मंच से बोलते हुए कहा था–''जब तक देश की राजनीति का हिन्दूकरण और हिन्दू का सैनकीकरण नहीं किया जाएगा तब तक भारत की स्वाधीनता, उसकी सीमाएं, उसकी सभ्यता व संस्कृति कदापि सुरक्षित नहीं रह सकेगी। मेरी तो हिन्दू युवकों से यहीं अपेक्षा है कि वे अधिक संख्या में सेना में भर्ती होकर सैन्य विद्या प्राप्त करें ताकि समय पड़ने पर वे अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा में योगदान दे सकें। विद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप में दी जाए।''

मुझे लगता है कि आने वाले 20 वर्षों के भीतर हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान पर घोर संकट आने वाला है। भारत विभाजन जिन कारणों से हुआ था उसमें यूरोप के ईसाई देशों ब्रिटेन–अमरीका आदि का कुटिल खेल चल रहा था। कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए इतनी लालायित थी कि हिन्दू हितों के विरूद्ध जाकर भी मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ मिलकर देश और सत्ता का बंटवारा स्वीकार कर लिया। मुसलमानों को पाकिस्तान का नाम मुस्लिम देश मिल गया और जो बचा वह हिन्दुस्तान यानि हिन्दुओं का स्थान कहलाया। देश विभाजित होते ही मुसलमानों को भारत की देवभूमि पर एक इस्लामी राष्ट्र मिल गया पर हिन्दू–मुस्लिम के नाम पर देश का बंटवारा होने के बाद भी हिन्दुओं को उनका हिन्दू राष्ट्र एक दिन भी नहीं मिला। महात्मा गांधी ने जिन्ना मेरा भाई का राग अलापते हुए बड़े जोर–शोर से हिन्दू–मुस्लिम भाई–भाई का नारा लगाया और प्रार्थना सभाओं में ईश्वर अल्ला तेरो नाम खूब गाया, लेकिन गांधी जी के सामने ही भाईचारे का वह नारा फेल हो गया। जिन्ना और सुहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन से लहूलुहान भारत का बंटवारा हो गया। खून से लथपथ अंग–भंग भारत माता के शरीर पर कांग्रेसी दिल्ली में ढ़ोल बजाकर सत्ता प्राप्ति का जश्न मना रहे थे और बंटवारे के दिन को आजादी का दिन बता रहे है।

कांग्रेसी नेताओं गांधी–नेहरू के तुष्टीकरण के आदर्शों पर वर्तमान कांग्रेस चल रही है और कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहते है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह स्पष्टतः हिन्दू हितों की बली देने की घोषणा ही है। इस वाक्य से हिन्दू युवकों का भविष्य दाव पर लग गया है। सच्चर समिति को लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के प्रति जो कार्यवाही इस देश की हिन्दू जनता चाहती है उतनी नहीं हो रही अपितु देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों की सुरक्षा पर उन्हीं सुरक्षा बलों को लगाया हुआ है जिन्हें वे मारने आते है। आतंकवादियों की सुरक्षा और खाने–पीने पर भी देश की गरीब जनता पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। करोड़ो नहीं एक अरब से अधिक रूपये भारत में पकड़े गए आतंकियों पर खर्च किए जा चुके हैं। जो सेना कश्मीर में भारत की सुरक्षा में लगी हुई है उसे सीमा से वापस बुला रहे हैं।

पाकिस्तान और बांगलादेश से हथियार और विचार लेकर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त आतंकवादियों से नरमी बरती जा रही है। स्थितियां बंटवारे से पहले की तरह भयावह हो रही है। पर कोई बोलता नहीं और जो बोलता है उसे साम्प्रदायिक और भाईचारा बिगाड़ने वाला बताकर उसके पीछे हाथ धोकर मानवाधिकारियों की फौज साथ लेकर पीछे पड़ जाते हैं। (क्रमशः)

महान राष्ट्रवादी चिन्तक और विचारक वीर सावरकर ने क्या कहा था, इस पर विचार करना जरूरी है, उनकी कही बातें एक–एक करके सच हो रही हैं।

4 जून 1947 को वीर सावरकर ने कहा कि नेहरू का यह कथन गलत सिद्ध होगा कि भारत विभाजन से हिन्दू–मुस्लिम समस्या का सदा के लिए समाधान हो जाएगा। हिन्दू–मुस्लिम समस्या के समाधान के रूप में देश को खंड–खंड करने वालों को मैं चेतावनी देता हूं कि देश के

बंटवारे से यह समस्या सुलझने के स्थान पर और अधिक उलझ जाएगी, क्योंकि यह प्रश्न दो जातियों का नहीं है। पाकिस्तान की स्थापना होते ही समस्या बढ़ेगी। अहमदाबाद में हिन्दू महासभा के अध्यक्ष पद से बोलते हुए वीर सावरकर ने 1937 में कहा था कि हमारे एकतावादी कांग्रेसी नेता उनकी हर अनुचित दुराग्रहपूर्ण मांग के सामने झुकते जा रहे हैं। आज वे वंदेमातरम का विरोध कर रहे हैं कल हिन्दुस्तान और भारत नामों पर एतराज करेंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को दारूल इस्लाम बनाना है। तुष्टीकरण की नीति से उनकी भूख और बढ़ती जाएगी जिसका घातक परिणाम सभी को भोगना पड़ेगा। 7 अक्तूबर, 1944 को अखंड भारत सम्मेलन में वीर जी ने कहा था कि "भारत को खंडित करके पाकिस्तान बनाने की मांग करके मुस्लिम लीग ने समस्त हिन्दुओं के स्वाभिमान को चुनौती दी है। कांग्रेसी नेताओं की मुस्लिम तुष्टीकरण की आत्मघाती नीति के कारण देश को खंड–खंड, अंग–भंग करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। देश के प्रत्येक हिन्दू को अपने राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए सर्वस्व होम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

यदि उस समय वीर सावरकर की बात मानी जाती तो देश के बंटवारे का दुःख नहीं भोगना पड़ता, परंतु कांग्रेस और गांधी जी की तुष्टीकरण की क्रियाओं ने हिन्दुओं के स्वाभिमान को समाप्त कर दिया। इस कार्य में गांधी जी के बाद में गीता पहले कुरान पढना ईश्वर, अल्ला तेरो नाम गाने से हिन्दुओं की मानसिक दृढ़ता निर्बल हुई और पाकिस्तान बन गया। जो वीर सावरकर ने कहा था अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। बंटवारे से समस्या कम न होकर और बढ़ गई। आज फिर तुष्टीकरण का वही खेल गांधी की कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में खेल रही है। यदि वीर सावरकर की कही हुई बात हम आज भी मान लें तो भारत भावी दुर्दशा से बच सकता है। अब तो पाकिस्तान के आतंकी और भारत में छुपे हुए पाक–बंगलादेशी घुसपैठिए, अमरीका की नीति और कांग्रेस का तुष्टीकरण ये चार प्रकार के संकट देश पर आते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। इसमें धरती, आकाश, पहाड़, नदियां तो वहीं रहेंगी पर हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान के अस्तित्व, स्वत्व और स्वाभिमान को खतरा बढ़ता जाएगा। वीर सावरकर का विरोध आजादी के बाद भी हुआ। जीते जी उनसे अन्याय किया गया और मृत्यु के बाद अपमान।

विडम्बना देखिए भरी जवानी में काला पानी भोगते हुए वीर सावरकर ने अखंड हिन्दू राष्ट्र की आजादी के लिए कोल्हू चलाया, उसी काले पानी के कीर्ति स्तम्भ से कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर के यशोगान का पत्थर हटवाकर उन महात्मा गांधी का पत्थर लगा दिया जिन्होंने वहां कभी दस मिनट चरखा भी नहीं चलाया।

यह एक स्वतंत्रता सेनानी का घोर अपमान है। केंद्र सरकार को चाहिए तो यह था कि नोटों पर वीर सावरकर का काले पानी में कोल्हू चलाते हुए का चित्र छापती, वीर सावरकर के नाम पर वहां मैडिकल कालेज, मुम्बई में विश्वविद्यालय बनवाती, वीर सावरकर एक्सप्रैस गाड़ी चलाती तथा पाठयक्रमों में वीर सावरकर का साहित्य पढ़ाती। आज देश चाहता है कि हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान के भविष्य की रक्षा के लिए वीर सावरकर के विचारों को पुनः जीवित करके आगे बढ़ें तथा तुष्टीकरण के अंधेरे को दूर करके स्वाभिमान का वीर सावरकर रूपी सूर्य उदय हो।

मेरा निश्चित मत है कि वीर जी के मार्ग पर चल कर ही हम भारत के भविष्य को बचा सकते हैं। 1947 की गलतियों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। सावरकर जी की भी यह प्रबल इच्छा थी। (क्रमशः)

आजादी के बाद भी कांग्रेस और अन्य दलों ने सत्ता के लिए हमेशा हिन्दुवादी संगठनों को निशाना बनाया। इसे देश का दुर्भाग्य कहें या पंडित नेहरू का सौभाग्य कि उन्होंने भी उस समय तेजी से शक्तिशाली हो रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचलने का प्रयास किया। महात्मा गांधी की हत्या का घृणित आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। दिन–रात दुष्प्रचार कर जनता के मन में संघ के प्रति घृणा भर दी और इस तरह अपनी पार्टी और वंश का राजनीतिक मार्ग प्रशस्त कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या में संघ निर्दोष पाया गया और दो वर्ष बाद उससे प्रतिबंध हटा लिया गया। कई बार संघ पर प्रतिबंध लगाया और हटाया गया। कांग्रेस आज भी पुराना खेल खेल

रही है और तुष्टीकरण की नीतियों के चलते हिन्दू आतंकवाद का हौवा खड़ा कर रही है। वर्तमान में यह भूमिका चिदम्बरम व दिग्गी राजा निभा रहे हैं। हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म को अपमानित किया जाता है जबकि हिन्दू धर्म किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है।

''सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब एक छोटे ईसाई स्कूल में पढ़ते थे तभी से हिन्दू धर्म के प्रति ईसाई अध्यापकों के द्वेषपूर्ण उद्गारों को सुनते आए थे। स्कूल में लड़कों को 'बाइबल' तो पढ़ाई ही जाती थी पर बात–बात में हिन्दू धर्म की हंसी उड़ाना भी ईसाई पादरियों का नित्यकर्म बन गया था। बालक राधाकृष्णन को यह बुरा तो लगता था पर धर्म के रहस्यों से अनजान होने के कारण वे अधिक बोल नहीं सकते थे। फिर भी इन बातों से उनका मन धर्म के स्वरूप की तरफ आकर्षित हो गया और वे इस विषय की पुस्तकों को पढ़कर उन पर विचार करने लगे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ीं और उनसे उनको निश्चय हो गया कि हिन्दू धर्म ईसाई धर्म की अपेक्षा अधिक सारयुक्त और उपयुक्त है। अब वे ईसाई पादरियों की बातें सुनकर चुप नहीं रहते थे, वरन् कभी–कभी अपना असंतोष भी प्रकट कर देते थे।

वे ईसाई धर्म की निंदा नहीं करते थे, वरन् पादरियों की द्वेषदर्शी मनोवृत्ति की ही आलोचना करते थे। जब कोई पादरी उनके सामने हिन्दू धर्म की निंदा करता तो वे कहने लगते–'पादरी महोदय ! आपका धर्म दूसरे धर्मों की निंदा करना ही सिखाता है क्या ?'

पादरी उत्तर देते–'और हिन्दू धर्म ? क्या दूसरों की प्रशंसा करता है ? 'हां, वह कभी दूसरों के धर्म को बुरा नहीं कहता। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि किसी भी देव की उपासना करने से मेरी ही उपासना होती है और मैं उसका प्रतिफल देता हूं। ये विभिन्न मजहब और सम्प्रदाय उन अनेक रास्तों की तरह हैं जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही केन्द्र पर मिल जाते हैं। इनमें से किसी को सच्चा और अन्यों को झूठा कहना उचित नहीं।'

जब कभी कोई पादरी हिन्दू रीति–रिवाजों की आलोचना करता तो वे कहते–'पादरी साहब ! हो सकता है आप हमारे इन रीति–रिवाजों का महत्व न समझें, किन्तु चिरकाल से चली आ रही इन्हीं प्रथाओं ने हमारे विश्वास और श्रद्धा को स्थिर रखा है, जो धर्म का मूल है। मेरे देश का एक साधारण किसान भी, जो इन्हीं विश्वासों के साथ अपना जीवनयापन करता है, आज के विज्ञान की चकाचौंध से पागल बने किसी भी पाश्चात्य देश के अपने को ज्ञान सम्पन्न कहने वाले व्यक्ति से अधिक धार्मिक है। अधकचरे विज्ञान ने तो आज करोड़ों पाश्चात्यजनों की श्रद्धा को ऐसा निर्बल बना दिया है कि वे किसी भी धर्म के विश्वासी और अनुयायी नहीं रह पाते। इस प्रकार धर्म बल से रहित व्यक्ति क्या कभी सच्चा सुख पा सकता है ? आप निश्चय समझ लें कि भारत वर्ष के जिन तपस्वियों और आचार्यों ने संसार को ऐसी महान संस्कृति दी और उसका लाभ बिना धर्म और सम्प्रदाय के भेदभाव के मानव मात्र को पहुंचाया, उनको कभी धर्म शून्य नहीं कहा जा सकता ?''
(क्रमशः)

इस राष्ट्र में तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़े कांग्रेसियों ने राष्ट्रवादियों को आतंकवादी करार देने की पूरी कोशिश की। यह सौ प्रतिशत सत्य है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। यदि कोई भगवा, हरा, काला, नीला या अन्य किसी रंग को आतंक का प्रतीक बताता है तो वह गलत है। ये सब प्रकृति के उपहार हैं। भगवा शब्द भगवान या ईश्वर का प्रतीक है लेकिन इस देश में भगवा रंग पर काली सियासत की गई। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए गृहमंत्री पी. चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह या कुछ अन्य नेताओं ने भगवा आतंकवाद के जुमले का सहारा लिया। ये लोग भगवा आतंकवाद पर प्रहार करके मुस्लिम समुदाय के बीच नायक बनना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति अनर्थकारी है। गृहमंत्री और उनके समर्थकों को इतिहास में झांक कर देखना चाहिए कि भगवा संस्कृति और उनके अनुयायी कितने उदार और अहिंसक रहे हैं।

जरा याद कीजिए कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करके अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया था। संघ निश्चित रूप से हिन्दू राष्ट्रवाद का प्रवर्तक है और हिन्दू संस्कृति को भारतीय संस्कृति के पर्याय

के रूप में देखता है मगर इसकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह करना रात को दिन बताने की तरह है। जरा सोचिये आजादी से पहले जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने वर्धा आश्रम के सामने ही लगे संघ के शिविर में गए थे तो अपने स्वयंसेवकों की अनुशासनप्रियता और जाति–पाति के बंधन से दूर देख कर कहना पड़ा था कि यदि कांग्रेस के पास ऐसे अनुशासित कार्यकर्ता हों तो आजादी का आंदोलन अंग्रेजों को देश छोडने के लिए बहुत जल्दी मजबूर कर देगा। इतना ही नहीं महान समाजवादी चिंतक और जन नेता डा. राम मनोहर लोहिया ने भी संघ के बारे में कहा था कि यदि मेरे पास संघ जैसा संगठन हो तो मैं पूरे देश में पांच साल के भीतर ही समाजवादी समाज की स्थापना कर सकता हूं। संघ ऐसा संगठन है जिसकी प्रशंसा स्वयं पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी की थी।

1962 के भारत–चीन युद्ध के समय संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार भारत की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद पूरे देश में आगे बढ़कर नागरिक क्षेत्रों में मोर्चा सम्भाला था उसे देखकर स्वयं पं. नेहरू को इस संगठन की राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा करनी पड़ी थी और उसके बाद 26 जनवरी की परेड में संघ के गणवेशधारी स्वयंसेवकों को शामिल किया गया था। 1965 के भारत–पाक युद्ध के समय भी संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की पूरी मदद की थी और छोटे से लेकर बड़े शहरों तक में इसके गणवेशधारी कार्यकर्ता नागरिकों को पाकिस्तानी हमले के समय सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया करते थे। इनकी जुबान पर हमेशा भारत माता की जय का उद्‌घोष रहता है।

भारत में हिन्दू संस्कृति की बात करना क्या गुनाह है ? संघ पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध जरूर लगाया गया था मगर बापू की हत्या में संघ के किसी कार्यकर्ता का हाथ नहीं पाया गया था। हिन्दू महासभा के नेता स्व. वीर विनायक दामोदर सावरकर को भी इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था मगर उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी क्या कोई कांग्रेसी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है ? सावरकर के गुरु बंगाल के क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। संघ और हिन्दू महासभा की विचारधारा में भी मूलभूत अंतर शुरू से ही रहा है।

हिन्दू सभा राजनीति का हिन्दूकरण और हिन्दुओं के सैनिकीकरण के पक्ष में थी जबकि संघ के संस्थापक डा. बलिराम केशव हेडगेवार का लक्ष्य हिन्दुओं का मजबूत सांस्कृतिक संगठन स्थापित करना था। इस सच को कैसे झुठलाया जा सकता है कि 1947 में भारत का बंटवारा होने के समय संघ के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान (पंजाब) के मोर्चे पर हिन्दुओं की रक्षा की थी।

मैं फिलहाल राजनीतिक सोच की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि संघ की व्यावहारिक कार्यप्रणाली की बात कर रहा हूं। संघ भारतीय संस्कृति का विश्वविद्यालय रहा है। यह जिस हिन्दू गौरव की बात करता है उसका मतलब मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि मुस्लिम पहचान को भारत की जड़ों में खोजना है। (क्रमशः)

कांग्रेस का साम्प्रदायिक चेहरा बार–बार सामने आया है। पहले कांग्रेस के इक्का – दुक्का नेता ही अपने बयानों से चर्चित होते थे, अब हर कोई प्रचार पाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाता है। कांग्रेस ने अपने कुछ राजनीतिज्ञों को इस काम पर लगाया है कि वे जमकर साम्प्रदायिक राजनीति करें और कोई मौका न चूकें।

बटला हाऊस मुठभेड़ में शहीद हुए इंस्पैक्टर महेश शर्मा की शहादत का अपमान किया गया।

26/11 के मुम्बई हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे और साथियों की शहादत पर सवालिया निशान लगाया गया। आखिर क्यों?

बटला हाऊस मुठभेड़ जांबाज पुलिस बलों की सफलता थी। मारे गए आतंकी मुसलमान थे। कांग्रेस के भोंपू दिग्विजय सिंह के लिए मौका था। दिग्गी ने आजमगढ़ दौरे के दौरान बटला हाऊस मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग कर डाली। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की तरफ से

शहीद महेश चन्द्र शर्मा के परिवार से सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय आरोपी आतंकियों के परिवार से सहानुभूति व्यक्त की गई।

26/11 के मुम्बई हमले में शहीद हेमंत करकरे को लेकर पहले अब्दुल रहमान अंतुले और बाद में दिग्गी राजा ने सवाल उठाए। दिग्गी राजा ने सनसनीखेज रहस्योद्घाटन किया कि हेमंत करकरे ने हमले से दो घंटे पहले उनसे फोन पर बातचीत की और करकरे ने हिन्दू संगठनों से अपनी जान को खतरा बताया था। उनकी इस बातचीत का कोई फोन रिकार्ड नहीं मिला। दुनिया जानती है कि 26/11 हमले के जिम्मेदार पाक के आतंकी संगठन हैं तो फिर इस हमले का रुख हिन्दू संगठनों की ओर मोड़ कर दिग्गी ने भारत सरकार के स्टैंड को ही कमजोर किया। कांग्रेस ने शहीदों की शहादत को झुठलाने का काम किया। शहीद करकरे की पत्नी भी कांग्रेस के रवैये से आहत हुईं और उन्होंने कांग्रेस की निंदा की लेकिन कांग्रेस खामोश रही। उसे तो मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु और 26/11 मुम्बई हमले के दोषी कसाब को फांसी की सजा पर भी कांग्रेस ने जमकर साम्प्रदायिक राजनीति की।

अफजल का अर्थ होता है विद्वान और श्रेष्ठ लेकिन आजकल एक और ही अफजल को लेकर देश में बहस छिड़ी है। आज की तारीख में अफजल गुरु वह शख्स है, जिसको भारतीय संसद पर वर्ष 2001 के हमले के मामले में न्यायालय ने फांसी की सजा दी है। न्यायालय के आदेशानुसार अफजल को 20 अक्तूबर, 2006 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी थी, लेकिन सियासतदानों की कारस्तानी और सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण 11 अक्तूबर, 2006 को निर्णय लिया गया कि अगले आदेश तक अफजल को फांसी नहीं दी जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस आशय का पत्र तिहाड़ जेल प्रशासन को लिखा, जिसकी पुष्टि जेल प्रशासन ने भी की। अफजल प्रकरण में जिस प्रकार से केन्द्र में काबिज सत्तारूढ़ कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने बयान जारी किए हैं, वह किसी भी सूरत में राष्ट्रहित में नहीं कहे जा सकते हैं। काबिले गौर है कि जब भी कहीं भारत राष्ट्र का जिक्र किया जाता है तो वहां प्रतीक के रूप में संसद या अशोक स्तम्भ प्रयुक्त किया जाता है। अफजल ने किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि संसद पर हमले की पृष्ठभूमि का ताना–बाना बुनकर पूरे राष्ट्र पर हमला किया। उसने भारत की अखंडता और सम्प्रभुत्ता को तार–तार करने का गुनाह किया है, जिसकी सजा मौत और सिर्फ मौत है, लेकिन हमारे सियासतदानों, विशेषकर कांग्रेसियों ने जिस तरह से वोट की राजनीति से अभिभूत होकर मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेला है, वह किसी भी सूरत में सच्चे भारतीय के लिए सहनीय नहीं है। सबसे पहले जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और फिर वहीं के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना कि यदि अफजल को फांसी दी जाती है तो प्रदेश की कानून–व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, हास्यास्पद लगता है। आखिर एक व्यक्ति जिसने पूरे राष्ट्र के प्रजातंत्र के मंदिर पर हमला किया है, उसको सजा नहीं दिए जाने की पैरवी एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा करना ठेस पहुंचाता है। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद के बयान का जिस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन किया, वह समझ से परे था। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और निकाय चुनावों के कारण कांग्रेस ने अफजल मामले को उलझाकर रख दिया था। 26/11 के मुम्बई हमले में पकड़े गए एकमात्र जीवित आतंकवादी कसाब के मामले में भी यही रुख अपनाया गया जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। (क्रमशः)

देश के विरुद्ध जंग छेड़ने सहित कई संगीन अपराधों में दोषी करार दिए गए पाक आतंकवादी अजमल कसाब को जस्टिस ताहिलियानी ने सजा–ए–मौत सुनाई थी। निश्चय ही अदालत के फैसले से मुम्बई के आतंकी हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों को एक सुकून मिला होगा जिनके परिवार के सदस्य बिना किसी अपराध के ही काल कवलित हो गए थे। शुक्र है कि कसाब जिन्दा पकड़ा गया वरना ये तो पूरी तैयारी के साथ तिलक लगाकर आए थे। सारे के सारे मारे जाते तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग इन्हें हिन्दू करार देते और भारत कभी भी इनका संबंध पाकिस्तान से साबित नहीं कर पाता। ये हिन्दू आतंकवादी नहीं, यह साबित करना भी

हिन्दुओं के लिए मुश्किल हो जाता। यह कैसा देश है जहां हत्यारों के बचाव के लिए विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। देश में एक नई विचारधारा सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी यहां राजीव गांधी के हत्यारों को आम माफी देने की बात की जाती है तो कभी कसाब की फांसी की सजा माफ करने की मांग की जाती है।

कसाब को सजा सुनाए जाते समय सत्र न्यायालय ने जो टिप्पणियां की थीं, वे काफी आंखें खोलने वाली थीं। न्यायालय ने कहा था कि ''कसाब जैसे आतंकवादी सुधर नहीं सकते। जेहाद के नाम पर धर्मांध लोग कुछ भी कर सकते हैं या इनसे कुछ भी कराया जा सकता है। बेशक ये देश और समाज के साथ मानवता के भी दुश्मन हैं और इन्हें छोड़ देना उपरोक्त तीनों को खतरे में डालना है।''

यह कितना दुःखद है कि इस देश में आतंकवादी को सजा दिए जाने का मामला अब राजनीति का विषय बन चुका है। सभ्य समाज में सजा के दो उद्देश्य होते हैं—व्यक्ति के भीतर पश्चाताप का बोध कराना और दूसरों में भय पैदा करना कि यदि उसने भी अपराध किया तो उन्हें भी ऐसी ही सजा मिलेगी।

मौत से हर व्यक्ति डरता है, इसलिए फांसी से अधिक भय पैदा करने वाली सजा कोई दूसरी नहीं हो सकती। अब मानवाधिकार के कुछ समर्थक पहले की ही तरह यह दलीलें दे रहे हैं कि मृत्युदंड की सजा प्रकृति के नियम के खिलाफ है और किसी को भी किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं। बेशक वे यह बात कहते हुए बेशर्मी से इस बात को भूल जाएंगे कि जिन मासूम निर्दोषों को इन हैवान बन चुके इंसानों ने बेवजह गोलियों से भून डाला, जीने का अधिकार तो उनको भी था। कसाब के मुकद्दमे और उसकी कड़ी सुरक्षा पर सरकार ने केवल इसलिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कि कोई यह न कहे कि भारत में आतंकवादी कसाब के साथ कोई नाइंसाफी हुई है।

अफजल के बाद कसाब की सजा पर अमल को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। सवाल यह है कि अगर फांसी की सजा पर राजनीति की जा रही है तो देश पर आक्रमण करने वालों, सैकड़ों मासूमों का कत्ल कर देने वाले हैवानों को कौन सी सजा दी जाए ? जब मौत की सजा का प्रावधान होते हुए भी इन आतंकवादियों को कानून का लेशमात्र भी डर नहीं रहा तो फिर हालात कैसे होंगे। कसाब की सजा को लटका कर वोटों की राजनीति का गणित बैठाया जा रहा है। बहुत से सवाल हैं जिनका उत्तर सरकार, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और खुद समाज को ढूंढने होंगे। अगर सरकार कसाब को सजा नहीं देती और उसे जेल में बिरयानी ही खिलाती है तो इतनी महंगी न्यायिक प्रक्रिया चलाने की जरूरत ही क्या थी। इंदिरा गांधी ने राजनयिक रविन्द्र हरेश्वर म्हात्रे की हत्या होने दी लेकिन मकबूल बट्ट को रिहा नहीं किया था। मकबूल बट्ट को फांसी की सजा दी गई थी। केन्द्र सरकार को याद रखना चाहिए कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल अरुण कुमार वैद्य के हत्यारे को क्षमादान देने की याचिका पर तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने महज 13 घंटे के भीतर फैसला किया था। एक नहीं कई उदाहरण कांग्रेस के सामने मौजूद हैं। यह देश कैसे उदाहरण स्थापित करना चाहता है, इसके बारे में कांग्रेस को सोचना होगा। यदि भारत को बचाना है तो आतंकवाद और न्यायिक फैसले को राजनीति में घसीटा नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को देश के सम्मान की नहीं अपना सम्मान बचाने की चिंता है, इसलिए वह केवल वोटों को निहारती है। (क्रमशः)

भारत पूरी दुनिया में श्रीराम और श्रीकृष्ण की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन अफसोस अयोध्या में आज तक भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर जितनी राजनीति इस देश में की गई, उतनी तो मस्जिदों के स्थानांतरण को लेकर मुस्लिम राष्ट्रों में भी नहीं हुई। अफसोस श्रीकृष्ण जन्मभूमि और हिन्दुओं के अन्य आस्था स्थल भी मुक्त नहीं हैं।

राष्ट्रीय अस्मिता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में विभिन्न बुद्धिजीवी अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। मुझे अध्ययन के समय पत्तों की तरह जर्द पड़ चुके कागज के कुछ पन्ने मिले, जो सूबेदार मेजर योगेन्द्र कृष्ण ने कभी मुझे भेजे थे। मैं पाठकों के समक्ष उनके विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा–

'यह बात निर्विवाद रूप से सोलह आने सत्य है कि भारत वर्ष विश्व में राम और कृष्ण की भूमि के नाम से जाना जाता है और तमाम तथाकथित बुद्धिजीवियों, लेखकों द्वारा भ्रम निर्माण करते रहने के प्रयत्नों के बावजूद बाबर एक हमलावर के रूप में ही इतिहास में दर्ज है और रहेगा। इन लोगों को श्रीराम और बाबर में हिन्दू–मुसलमान का ही अन्तर दिखाई देता है। भारत व संसार भर के करोड़ों लोग प्रतिवर्ष श्रीराम जन्मभूमि और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर विग्रह के दर्शन, पूजन हेतु हजारों वर्षों से आते रहे हैं। तो क्या वे एक कल्पना पर ही इतनी श्रद्धा और विश्वास लेकर आते हैं? इसे गम्भीरता और बुद्धिमतापूर्वक समझने से सब भ्रांतियां तिरोहित हो जाएंगी। हमारे नेता राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव, जाति विहीन समाज, सामाजिक न्याय आदि की लम्बी–चौड़ी बातें करते आ रहे हैं तो फिर हम उससे एकदम उल्टी दिशा में बढ़ते हुए क्यों दीख रहे हैं जो देश को पुनः विभाजन के निकट ला रही है ? हम लम्बे समय से इस विनाशकारी राजनीतिक प्रणाली का सक्रिय अंग हो चुके हैं और इससे यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व अपनी चुनाव रणनीति और वादे गणित का पूरा गुलाम बन चुका है। उनकी धारणा पक्की बन चुकी है कि मुस्लिम समुदाय ही सबसे पक्का और सबसे बड़ा आधार है क्योंकि मुस्लिम मतदाता अपने वोट मजहबी आधार पर ही प्रयोग करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ 'हिन्दू आक्रामकता' कहां है ? इसी हिन्दू समाज ने 'अपने ही' भ्रांत नेताओं द्वारा 'छाती पर लगे विभाजन के ताजे घाव' को झेलकर भी मुसलमानों को स्वाधीन भारत के 'संविधान' में अपने से भी अधिक अधिकार प्रदान करने दिए। हमारे ऋषियों की देन 'एकं सद्विप्राः बहुध वदंति' के घोष वाक्य की देन के कारण ही हिन्दू समाज ने बहुसंख्यक होते हुए भी यह असामान्य निर्णय लिया। इसमें किसी प्रकार की मजबूरी नहीं थी। इसी के साथ पाकिस्तान ने आजादी के बाद ही 'मुस्लिम राष्ट्र' की घोषणा कर दी जिसका परिणाम स्पष्ट दिख रहा है कि विभाजन के बाद हिन्दुओं की संख्या वहां करोड़ से घटकर लाख रह गई। बंगलादेश में भी हिन्दुओं की 'दुर्गति' ठीक वैसी ही हो रही है।

एक ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले इस भूखंड के इन तीनों भागों के आचरण के इस भारी अंतर पर ध्यान दें तो अंतर साफ दिखाई देता है। उन लोगों ने इस्लामी प्रभु सत्ता स्वीकार की और अल्पसंख्यक लोगों को जीवित लाशें बना दिया और यहां आज भी 'धर्मनिरपेक्षता' जैसे शासन प्रबंध को स्वीकार ही नहीं किया, इसकी आवाज अधिकांश हिन्दू ही उठा रहे हैं। इसे हमारी कायरता समझा जा रहा है। देश के भीतर और बाहर सब तरह की उत्तेजनाओं के बावजूद भी भारत यदि अब तक धर्मनिरपेक्षवाद पर डटा है, तो उसका एकमात्र कारण हिन्दू परम्परा और हिन्दू मानस ही है, जिसे वे दिन–रात कोसते रहते हैं। (क्रमशः)

हिन्दुओं की सहिष्णुता की परीक्षा सैकड़ों वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन में झोंक दिया और आजादी की लड़ाई दरकिनार हो गई। कारण था कि खिलाफत आंदोलन में बोलते हुए मौलाना अब्दुल बारी ने कहा था कि ''मुसलमानों का सम्मान खतरे में पड़ जाएगा, यदि हमने हिन्दुओं का सहयोग नहीं लिया। हमें गौ वध बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम एक ही भूमि की संतान हैं'' किन्तु सम्मान का खतरा भारत में नहीं था। यह तुर्की के मुसलमानों की समस्या थी, जिसे भारतीय मुसलमान ओढ़कर चल पड़े थे। 1857 के बाद आजादी की लड़ाई में भारतीय मुसलमानों ने कब साथ दिया ? वे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से ही अलग से मुस्लिम राष्ट्र की प्राप्ति के लिए आगे बढने लगे थे। 1946 का चुनाव इस केन्द्रीय प्रश्न पर ही लड़ा गया था कि भारत अखंड रहे या उसका विभाजन हो और उस चुनाव के परिणामों से स्पष्ट है कि 99 प्रतिशत हिन्दुओं ने कांग्रेस के 'अखंड भारत' के

आह्वान के समर्थन में वोट दिए तो 97 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम समाज ने जिन्ना के 'पाकिस्तान' की मांग के समर्थन में वोट डाले और मौलाना आजाद जैसे राष्ट्रवादी नेता की पूर्ण उपेक्षा कर दी।

1947 में मिली विभाजित आजादी से लेकर आज तक हुए छोटे–बड़े एक हजार हिन्दू–मुस्लिम दंगे किसने किए ? इसका विश्लेषण होना जरूरी है।

सब जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक सब के मन में स्वदेशी पूर्वजों के प्रति सम्मान, इस देश की पुरातन संस्कृति के प्रति अपनत्व और गौरव और मातृभूमि के प्रति भक्ति का भाव न हो। युगोस्लाविया, चीन, बुल्गारिया आदि ने जो मुस्लिम समस्या को हल करने के लिए लम्बे प्रयास किए, वह असफल क्यों हो गए ? इंग्लैंड जैसे उदारवादी देश में बसे मुसलमानों की यह मांग उठती रही है कि एक धार्मिक सम्प्रदाय के नाते उनके लिए अलग संसद बनाई जाए ?

क्यों मुस्लिम समस्या ही हमारे लम्बे स्वातंत्र्य संघर्ष के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी रही और क्यों देश विभाजन के बाद भी 'स्वतंत्र भारत' की राजनीति भी आज तक इस 'समस्या' के चारों ओर घूम रही है ? 'मुस्लिम पहचान की रक्षा' के पुराने प्रश्न, जिसके 'द्वि राष्ट्रवाद' के सिद्धांत ने 'पाकिस्तान' के रूप में भारत के सिर पर 'स्थायी शत्रु' बनाकर खड़ा किया, पुनः विकराल रूप लेकर खड़ा हो गया है ? कुछ गिने–चुने देशभक्त उदारवादी मुस्लिम नेता अवश्य चिंतित हैं किन्तु उनकी आवाज मुस्लिम समाज में 'नक्कारखाने में तूती' की आवाज जैसी ही है।

समय आ गया है कि यदि इस देश को फिर से एक और विभाजन से बचाना है तो खुले रूप से निर्णय लेना होगा कि इस देश के 'पुरखे श्रीराम और श्रीकृष्ण हैं' और कोई भी ताकत आतताई हमलावर बाबर को उनके समकक्ष खड़ा नहीं कर सकती। सबको यह बात विदित रहनी चाहिए कि 'सैलाब में सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने की शक्ति होती है' और पीछे जमीन को फिर से उर्वरा बनाने की भी।

लौकिकता, सर्वधर्म समभाव तथा प्रजातंत्र वास्तव में देश में कभी नहीं चलाए गए। अल्पसंख्यकों के वोट बटोरकर अपनी गद्दी सुरक्षित करने के बाद हिन्दू बहुमत को गाली देना, उन्हें आतंकित करना, उन्हें साम्प्रदायिक तथा देश विरोधी बताना कांग्रेस नेतृत्व की पुरानी प्रवृत्ति है जबकि वह हिन्दू बहुमत के वोट और नोट से ही शासक बनते हैं। अगर हिन्दू साम्प्रदायिक होते तो राज्य हिन्दुत्वनिष्ठ संस्थाओं का होता, इन सेक्युलरवादियों का नहीं। देश का बंटवारा करने वाले मुसलमान तो राष्ट्रीय और कांग्रेस को खंडित भारत का शासक बनाने वाले हिन्दू साम्प्रदायिक कहे जाते हैं। क्या यह विडम्बना नहीं है कि मौ. आजाद ने अपने को अखंड भारत का समर्थक बताया और बंटवारे के लिए नेहरू और पटेल को उत्तरदायी बताया। आज राम मंदिर भूमि विवाद से सम्बन्धित हलचल और असंतोष के लिए सारे विश्व में हमारी ही सरकार हिन्दुओं को उत्तरदायी ठहराकर बदनाम कर रही है। बाहर बीजेपी या आरएसएस को कौन जानता है। विदेशियों की नजर में हिन्दुओं के अत्याचारों के शिकार मुसलमान हो रहे हैं, ऐसा ही प्रचार और प्रसार हो रहा है। प्रतिक्रिया में मंदिर और गुरुद्वारे 'अपमानित' किए जा रहे हैं और हमारी सरकारें जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। वे तो अपनी गद्दी की सुरक्षा के लिए विरोधी राजनीतिक पक्ष को बदनाम करने में जुटी हैं। (क्रमशः)

कांग्रेस का जनाधार जब भी खिसकता है या उसे भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण झटके पर झटका लगता है तो वह ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाने की फिराक में रहती है कि देश के 18 करोड़ मुस्लिम मतदाता किसी न किसी तरह पट जाएं। नरसिम्हा राव शासन में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुस्लिम मतदाता उससे अलग हो गए थे जो आज तक पूरी तरह उसके साथ जुड़ नहीं सके। कभी वह हिन्दू संतों को निशाना बनाती है, कभी हिन्दुत्व पर प्रहार करती है तो कभी हिन्दुओं की आस्था से खिलवाड़ करती है।

सोनिया गांधी की बनाई नैशनल एडवाइजरी काउंसिल के कुछ मुस्लिम व वामपंथी सदस्यों द्वारा बहुसंख्यक हिन्दुओं के खिलाफ कड़ा कानून बनाने को तैयार किए गए मसौदे को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कानून बनाने की जी–जान से कोशिश कर रहे हैं। यह मसौदा यदि

विधेयक के रूप में संसद में आया और पास हो गया तो देश में एक और बंटवारे का रास्ता तैयार हो जाएगा क्योंकि इसमें ईसाई और मुसलमानों को संरक्षण देने के लिए ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिससे हिन्दुओं की हालत गुलाम जैसी हो जाएगी। सोनिया गांधी खुद ईसाई हैं। वह आगे चुनावों में कांग्रेस की जीत की रणनीति के तहत मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसी योजना के तहत साम्प्रदायिकता विरोधी विधेयक लाने की जोर–शोर से तैयारी चल रही है लेकिन इसकी पहली बैठक में ही 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं आकर विरोध जता दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि यह बिल तो ऐसा है कि यदि कहीं पर किसी अल्पसंख्यक ने कुछ किया और दंगा हुआ तो बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर सकती है। इससे तो इस देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं की हालत गुलामों की हो जाएगी। सोनिया गांधी अमरीका व ईसाई जमात के अलावा मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए अपनी देखरेख में बनवाए साम्प्रदायिकता विरोधी बिल को अपने यसमैन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मार्फत लाने की तैयारी कर रही हैं। पहली बैठक में तो सब कुछ उल्टा पड़ गया, लेकिन उस मसौदे में कुछ इधर–उधर करके फिर उस पर बहुमत बनाने की कोशिश होगी। किसी भी तरह इसे फरवरी 2012 तक संसद में पास कराकर मुसलमानों को खुश करने की योजना है लेकिन पहली बैठक में तो झटका लग गया।

यूपीए सरकार में जयचंदों और मीर जाफरों की कोई कमी नहीं है जिनका एकमात्र लक्ष्य सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ कर अपना उल्लू सीधा करना है। साम्प्रदायिक हिंसा रोकने को विधेयक 2006 में संसद में पेश कर दिया गया था, लेकिन इसमें पारित नहीं किया जा सका था। भाजपा ने जब इसका विरोध किया था तो कांग्रेस ने उसे साम्प्रदायिक करार दिया था। इस विधेयक में देश के नागरिकों को अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित–पिछड़े, जातियों के मध्य विभाजित किया गया है। संविधान विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि धारा 15 में यह साफ–साफ कहा गया है कि जाति या धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह संविधान की मूल भावना है तथा सामान्य संशोधन से भी इसे अपवाद के तौर पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। यह विधेयक इसी आधार पर भेदभाव मूलक है। वैसे भी संविधान में अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक की कोई व्याख्या ही नहीं की गई। देश में कहीं पर कोई भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है तो कहीं धर्म के आधार पर बहुसंख्यक इसलिए इस विधेयक को कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के रूप में देखा जा रहा है। बाकी चर्चा मैं कल के लेख में करूंगा। (क्रमशः)

दुनिया के किसी देश में धर्म के नाम पर कोई साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार कर डाला। इसके अधिकांश सदस्य 'सैकुलर ब्रिगेड' के हैं, जिनमें भाजपा और हिन्दुत्व विरोधी अभियानकर्ता हर्ष मंदर, अरुणा राय का नाम लिया जा सकता है।

इस सम्पादकीय को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बिन्दु स्पष्ट करना चाहता हूं :

- प्रोफेसर के.सी. पाण्डे के भिवंडी, महाराष्ट्र, अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगों के अध्ययन के अनुसार हिन्दू–मुस्लिम फसाद ''विकास के असमान ढांचे'' के कारण हुए। उनका धर्म से कोई लेना–देना नहीं था। देशभर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। भगवान कृष्ण को लेकर रहीमजी, रसखान ने जनप्रिय रचनाएं लिखीं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पदमावत की रचना की। दादूवाणी को लिपिबद्ध करने वाले रज्जबदास (पठान रज्जब खान) थे। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध भक्ति रचना ''छाप तिलक सब छोड़ी है।'' बादशाह अकबर ने हिन्दू–इस्लाम का मिला–जुला धर्म चलाया। अकबर के दरबार में अग्नि की पूजा होती थी। शाहजहां के बड़े शहजादे दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किया। परनामी सम्प्रदाय के संस्थापक महामति प्राणनाथ ने कुरान का अनुवाद किया। आजाद हिन्द फौज में जनरल शाहनवाज खान थे। पठान बादशाह खान सीमांत गांधी कहलाए।

- कांग्रेस राजनीतिक रूप से लोकसभा की 185 सीटों में प्रभावी मुस्लिम वोट बैंक पर मोहिनी काम बाण छोडना चाहती है। सन् 1984 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस का प्रतिबद्ध वोट बैंक अनुसूचित जाति (दलित), अनुसूचित जनजाति (वनवासी) और मुस्लिम (कुल 120 लोकसभा सुरक्षित सीट) था। कांग्रेस में ब्राह्मण नेतृत्व के कारण देश के ब्राह्मण पार्टी से जुड़े थे। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास (नवम्बर 1989), मंडल आरक्षण आंदोलन (1990), अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस (दिसम्बर 1992), बहुजन समाज पार्टी उदय से ओबीसी, दलित, मुस्लिम स्थायी रूप से कांग्रेस छोड़ गए।
- कांग्रेस के सैकुलर वृंदगान–मुस्लिम प्रेम के कारण लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या 25 वर्षों में घटकर आधी रह गई।
- प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का कहना है कि देश के संसाधनों पर ''मुस्लिमों–अल्पसंख्यकों का प्रथम अधिकार है।'' प्रधानमंत्री ने फरमाया कि साम्प्रदायिक दंगों, आतंकी विस्फोटों की जांच करने वाली एजैंसी को पूर्वाग्रह मुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष छानबीन करनी चाहिए।
- न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर रपट के अनुसार सन् 1947 से सन् 2007 के 60 वर्षों में मुस्लिमों की आर्थिक, सामाजिक दशा दयनीय रही अर्थात सत्तारूढ़ कांग्रेस ने मुस्लिम प्रेम के पाखण्ड में उन्हें मुख्यधारा से नहीं जोड़ा। मुस्लिमों के युवजन उच्च शिक्षा, विशेषज्ञता शिक्षा में पिछड़ गए।
- देश में प्रधान न्यायाधीश हिदायतुल्ला रहे। राष्ट्रपति पद पर डा. जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डा. एपीजे अब्दुल कलाम रहे। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, कनाडा, अफ्रीका आदि में अल्पसंख्यक मुस्लिम को राष्ट्रपति पद नहीं मिला।
- सन् 2004 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में पीएम सईद, बेगम नूरबानो रामपुर, सीके जाफर शरीफ आदि क्यों हारे ?
- विश्व के महाकोषों में समाज से सम्प्रदाय शब्द बना है। अधिकांश विकसित देश साम्प्रदायिकता (कम्युनलिज्म), धर्म निरपेक्षता (सैकुलरिज्म) शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं चाहते। दूसरे देशों में हिंसा करने वाले समाजकंटक अपराधी हैं। उन्हें धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाता है। अधिकांश शासनाध्यक्षों–राष्ट्राध्यक्षों के धार्मिक स्थल (गिरजाघर, मस्जिद, बौद्ध विहार, यहूदी मंदिर आदि) में पूजा करते चित्र नहीं प्रकाशित होते हैं।
- देश में 10 वर्षों में आतंक से लड़ते 1851 नागरिकों और 6728 पुलिस जवानों ने शहादत दी। उनमें अधिकांश हिन्दू थे। (क्रमशः)

साम्प्रदायिकता तथा लक्षित हिंसा विधेयक के प्रस्तावित प्रारूप का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस विधेयक के इरादे यही हैं कि अपना देश एक न रहे, समाज में सद्भाव समाप्त हो जाए, संविधान की भावना के उलट सभी कार्य हों। इस प्रारूप को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने तैयार किया है, इस परिषद के संवैधानिक अधिकार क्या हैं ? इस पर भी बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं। देश में लोकतंत्र है, संसद है, तो फिर हम तथाकथित सलाहकारों के जाल में क्यों फंस रहे हैं ?

न्याय, संविधान आदि की अवहेलना करने वाला यह विधेयक क्या विचार करने योग्य है ? इस विधेयक को तो रद्दी की टोकरी में डाल देना ही बेहतर है क्योंकि इस विधेयक के पीछे की राष्ट्र विरोधी, घृणित, षडयंत्रकारी मानसिकता इस पहले प्रारूप में ही साफ हो गई है।

इस विधेयक को लेकर कुछ और बिन्दू स्पष्ट करना चाहूंगा :

- विधेयक में प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा होने पर कानून व्यवस्था के नाम पर केन्द्र सरकार को ''हस्तक्षेप का अधिकार'' दिया गया है। यह भारतीय संविधान में ''संघीय चरित्र'' के विरुद्ध है। राज्यों में साम्प्रदायिक हिंसा के नाम पर केन्द्रीय हस्तक्षेप असंवैधानिक है।
- विधेयक देश के सार्वभौम नागरिकों को अल्पसंख्यक (मुस्लिम) और बहुसंख्यक (हिन्दू) में बांटकर देखता है।
- देश की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम 13.5 प्रतिशत, हिन्दू, सिख, इसाई 86.5 प्रतिशत हैं।
- केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों की संख्या में भारी गिरावट आई है।
- यह विधेयक बहुसंख्यक हिन्दुओं के लिए उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, पुड्डुचेरी आदि में गले का फंदा बना है।
- पंजाब में सिख, कश्मीर में मुस्लिम और उत्तर–पूर्व के राज्यों में इसाई बहुसंख्यक हैं।
- विश्व के किसी भी देश में धर्म के नाम पर कोई साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक नहीं है।
- कांग्रेस का कहना है कि साम्प्रदायिक दंगों के समय स्थानीय प्रशासन और पुलिस उनके साथ सही बर्ताव नहीं करती है। प्रशासन एवं पुलिस मुस्लिमों को संदेह की नजर से देखती है, यह गलत है।
- साम्प्रदायिक दंगों के लिए स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस को जवाबदेह बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, वाम मोर्चा, तीसरी शक्ति साम्प्रदायिक हिंसा को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या मानती है।
- विश्व के अधिकांश टीवी समाचार चौनलों पर धार्मिक समारोह रपट विरले ही प्रसारित की जाती है।
- विपक्ष का आरोप है कि साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक में बहुसंख्यक हिन्दुओं को ''खलनायक की भांति चित्रित किया गया है।''
- कांग्रेस का आरोप है कि मीडिया शांति और सौहार्द स्थापना में रचनात्मक भूमिका अदा नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री डा. सिंह ने मीडिया को सौहार्द, शांति के लिए रचनात्मक कार्य करने की सलाह दी।
- विपक्ष के अनुसार विधेयक के प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता के संविधान प्रदत्त प्रावधानों का अतिक्रमण करते हैं। विधेयक नागरिकों को धर्म और जाति के नाम पर विभाजित करता है।
- विधेयक के अनुसार हिन्दू, मुस्लिमों के लिए अलग – अलग आपराधिक दण्ड संहिता (फौजदारी कानून) होंगे। परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक हिन्दू बहुसंख्यकों के लिए भस्मासुर बनेगा। उसका दुरुपयोग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- विधेयक से हिन्दू–मुस्लिमों में ''परस्पर अविश्वास'' और अधिक गहराएगा। अतः यह संविधान विरोधी साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक मसौदा खारिज किया जाए। वर्तमान में साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के अनेक सख्त कानून हैं उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है ? (क्रमशः)

वेदों में बार–बार कहा गया है कि मनुष्य बनो, अच्छे मनुष्य बनो लेकिन हमने मनुष्य को बांट दिया। जो नास्तिक है धर्म तो उसके लिए भी है, ईश्वर ने सभी के लिए हवा बनाई है, सभी के लिए सूर्य बनाया है। उसने किसी को अलग नहीं किया। यदि वह किसी से विभेद करना चाहता तो अलग सूर्य, हवा और पानी बनाता। जो वेद–उपनिषद की धारा से खुद को जोड़ सके वही हिन्दू है। ऐसे कितने लोग हैं, जो इन बातों पर विश्वास करते हैं। जब सभी एक–दूसरे से जुड़ेंगे तो ही कुछ होने का अर्थ निकलेगा। सदियां बदल जाने से हिन्दू होने का अर्थ नहीं बदल जाता लेकिन मैं यहां भी कहना चाहता हूँ कि हिन्दुओं को आघात देश के कुछ हिन्दुत्व के होलसेल डीलरों ने भी पहुंचाया वहीं कांग्रेस ने अपनी धर्मनिष्ठा और चरित्र ही बदल दिया। बाकी सभी जातिवादी राजनीति का ढिंढोरा पीटते रहे।

बात महात्मा गांधी से संबंध रखती है। कांग्रेस का 26 वां अधिवेशन मद्रास में हो रहा था। महात्मा गांधी की रुचि उन दिनों अध्यात्म में अधिक थी, परन्तु फिर भी वह लोगों की बात मानकर ऐसे अधिवेशनों में चले जाया करते थे। एक दिन शाम के समय अयंगर महोदय एक मशविरा लेकर आए जिसका ताल्लुक हिन्दू–मुस्लिम समझौतों को लेकर था।

बापू ने कहा–''आपसी सौहार्द से बड़ी बात क्या है ? समझौता किसी भी शर्त पर हो, यह अच्छी बात है।'' अयंगर महोदय चले गए। रात को बापू ने पूरे प्रस्ताव का अध्ययन किया।

प्रातःकाल होने पर बापू बड़े उद्विग्न नजर आए। उन्होंने महादेव देसाई को जगाया और काका कालेलकर को भी बुलाया और कहने लगे–''रात को मुझ से बड़ी भूल हो गई। मैंने प्रस्ताव को एक सरसरी निगाह से देखकर उसे ठीक कह दिया था परन्तु उसमें तो मुस्लिम बंधुओं को गोवध की इजाजत देने का भी प्रावधान किया गया है। मैं तो 'स्वराज' की कीमत पर भी गोरक्षा का संकल्प नहीं छोड़ सकता। मुझे प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं, परिणाम जो भी हो इस भारत की भूमि पर जब तक गोरक्त की एक बूंद भी गिरेगी, यह राष्ट्र कभी शांति से नहीं रह सकता। प्रस्ताव रद्द हो गया। इसे कहते हैं धर्मनिष्ठा और इसे कहते हैं चरित्र। आजादी की लड़ाई लडने़ वाली कांग्रेस ने धर्मनिष्ठा और चरित्र को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सच तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म समभाव भी है। मैंने इस पक्ष को इस नजरिये से देखा है मसलन हिन्दू धर्म को मानने वालों की बात करें। इस देश में इसी के अंग कश्मीर से तीन लाख लोग इसलिए निकाल दिए गए क्योंकि वह गीता और रामायण पढ़ते थे, मंदिरों में जाते थे, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। सभी ने मगरमच्छी आंसू बहाए, हिन्दुओं का दर्द किसी ने नहीं जाना।

1980 के दशक में जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से सारा पंजाब धू–धू कर जल उठा, राष्ट्र विरोधी ताकतों ने हिन्दू–सिखों के शाश्वत संबंधों पर कुठाराघात किया। बसों से उतार कर एक ही समुदाय के लोगों को मारा जाने लगा, तो हजारों हिन्दू परिवार पंजाब छोड़कर पलायन कर गए। आज इस घटना का जिक्र तक नहीं किया जाता। मैं पहले भी कहता आया हूँ।

''जुनून हिन्दू का हो या हो जुनून मुस्लिम का
जब भी जलते हैं, गरीबों के घर जलते हैं।''

आइए गुजरात चलते हैं। गोधरा की घटना एक राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसे राष्ट्रद्रोहियों ने रचा था, उस षड्यंत्र के तार सीमा पार से जुड़े थे, उनका उद्देश्य वही था, जिसमें वह सफल हुए। योजना के मुताबिक ट्रेन अग्निकांड की घटना गोधरा के बदले चिंचलाव स्टेशन पर घटनी थी। चिंचलाव में इसे 100 गुणा ज्यादा वीभत्स बनाया जाना था। ट्रेनों के समय में विलम्ब के कारण यह कार्यक्रम बदला गया। 56 रामभक्त जिंदा जला दिए गए। अगर गोधरा कांड न होता तो दंगे भी नहीं होते।

''गोधरा में जो मरे, वो निरपराध थे,
बाद में जो मरे, वो भी निरपराध थे।''

मैंने स्वयं गोधरा के बाद हुए दंगों को हिन्दुत्व पर कलंक बताया था लेकिन कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों ने गोधरा ट्रेन नरसंहार को महज हादसा बताने का प्रयास किया। कई जांच आयोग बने। चुनावों के ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट लीक की गई जिसने इस कांड को महज हादसा बताया। हिन्दू संगठनों को फासिस्ट करार दिया गया। कांग्रेस ने गांधी के गुजरात को गोडसे का गुजरात करार दिया। उसका उद्देश्य मुसलमानों को भड़का कर वोट प्राप्त करना था। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस चुनाव अभियान की शुरूआत श्रीगणेश, अम्बा जी के मंदिर में दर्शन करके किया था। हिन्दुओं के वोट हड़पने के लालच में किए इस नाटक का क्या असर होना था, इसकी प्रतिक्रिया हिन्दू मतदाताओं पर कांग्रेस के विरुद्ध ही हुई। (क्रमशः)

ऐ रहबरे मुल्को कौम बता
ये किसका लहू है, कौन मरा ?''

बात 1984 की है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सारे राष्ट्र में दंगे भड़क उठे थे। सिखों पर हमले किए गए। नग्न आंखों से क्रूरता का यह तांडव सभी ने देखा। अकेले दिल्ली शहर में मृतकों की संख्या 2733 बताई गई मगर सत्य कुछ और ही था। पूरे राष्ट्र ने देखा, यह कांग्रेस प्रायोजित आतंकवाद था। कई आयोग बने, लेकिन नानावती कमीशन की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई अगर कांग्रेस में हिम्मत थी तो कपूर–मित्तल की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। कभी जैन–बनर्जी कमेटी के पर कतरे गए, कभी जैन–अग्रवाल कमेटी की रिपोर्टें झूठी याचिकाओं के बल पर सार्वजनिक नहीं होने दीं। कभी पोटी–रोशा कमेटी गर्भ में ही भ्रूण हत्या का शिकार हुई। दंगों के दौरान एक वृद्ध सिख की विधवा की याचिका पर तत्कालीन न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने जब फैसला दिया तो सभी की आंखें खुल गईं। यह दिल्ली हाईकोर्ट की बात है।

''अपनी ही मातृभूमि में अपने ही लोगों द्वारा नृशंसतापूर्वक कत्ल किए जाने की घटनाओं की वेदना की बात सोचने से अनुभव होता है कि क्या ऐसे लोग जंगली जानवरों से बदतर नहीं हैं ?''

आज मैं उस कविता की पंक्तियों को लिखना चाहूंगा जो उस फैसले का हिस्सा हैं, जो कविता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने रची और जिसका भाव है कि जंगली जानवरों के साथ एकांत विचरण करने वाले को भी उतना भय शायद महसूस न हो, जितना इन दो पाये दरिन्दों के साथ तब इन्सान को था।

कविता को देखें–

"If I 2ere the soil. I 2ere the 2ater if I 2ere the grass or fruit or flo2er if I 2ere to roam about the earth 2ith beasts there 2ould be nothing to fear, in ne1er ending ties 2here e1er I go, It 2ill be the limitless me".

जब न्यायालयों के फैसलों में ऐसी बातें आ चुकी हैं, तो जांच आयोगों की रिपोर्टों की क्या कीमत ? जांच तो रंगनाथ मिश्र ने भी की थी। सच तो उन्होंने भी बोलने की शुरूआत की थी, लेकिन वाह रे राज्यसभा का सत्ता सुख, एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की सारी गरिमा धूल धूसरित हो गई। सब जानते हैं कि वह कौन से बेइमान, भ्रष्ट और कर्त्तव्यहीन अधिकारी थे जो अपने आकाओं के बल पर दंगे करवाने को ही अपना कर्त्तव्य समझ रहे थे।

कौन थे इनके आका। दंगाइयों को किसने छूट दी ? पुलिस मौन दर्शक क्यों बनी रही ? कांग्रेस ने सत्य के साथ छल किया।

कांग्रेस ने देश की विभिन्न जातियों में अविश्वास पैदा कर अपना उल्लू सीधा किया। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है–

राजकुमार और नगर सेठ के बेटे की दोस्ती से मगध नरेश बहुत दुःखी थे। लाख प्रयास के बावजूद दोनों की दोस्ती टूट नहीं रही थी। राजकुमार को गलत संगत से बचाने के लिए राजा ने मंत्रियों से सलाह ली और फिर इस काम के लिए उन्होंने सबसे चतुर मंत्री को लगाया। एक दिन राजकुमार और नगर सेठ के बेटे बातचीत में मशगूल थे। इतने में मंत्री जी आए और इशारे से राजकुमार को अपने पास बुलाया। मंत्री ने राजकुमार से कुछ कहा और फिर वे वापस लौट गए। मंत्री के जाने के बाद नगर सेठ के बेटे ने राजकुमार से मंत्री के आने का उद्देश्य पूछा पर राजकुमार ने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन इसी तरह मंत्री जी फिर आए और इस बार नगर सेठ के बेटे को बुलाकर कुछ कहा। फिर चलते बने। राजकुमार ने भी अपने मित्र से मंत्री से हुई बात के बारे में पूछा पर नगर सेठ के बेटे ने कुछ नहीं बताया। इस घटना के बाद दोनों के बीच अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया। मंत्री जी अपनी चाल में कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने दोनों को बुलाकर कुछ भी नहीं कहा था। सिर्फ अविश्वास पैदा करने की नीयत से अपने पास बुलाया था। राजा को दोनों की मित्रता टूटने की खबर से अत्यधिक प्रसन्नता हुई क्योंकि जो कार्य साम, दाम, दंड से नहीं होता वह काम अविश्वास पैदा करने से हुआ। कांग्रेस सरकारों ने हमेशा ही जातियों में अविश्वास पैदा कर सत्ता तक का सफर तय किया। बाकी चर्चा मैं कल करूंगा। (क्रमशः)

अब साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा विधेयक लाकर यूपीए सरकार साम्प्रदायिक हिंसा को रोकना चाहती है। इस विधेयक के प्रस्तावित प्रारूप पर मेरी विभिन्न लोगों से चर्चा हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और मेरे मित्र अरुण जेतली से भी इस विधेयक पर गहन चर्चा हुई, जिसे मैं पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

जेतली जी का मानना है कि प्रकट रूप से विधेयक का प्रारूप देश में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और इस संबंध में दंड दिये जाने के प्रयास के तौर पर नजर आता है। यद्यपि स्पष्ट रूप से प्रस्तावित कानून का यह मंतव्य है, तथापि इसका असल मंतव्य इसके विपरीत है। यह एक ऐसा विधेयक है कि यदि यह कभी पारित हो जाता है तो यह भारत के संघीय ढांचे को नष्ट कर देगा और भारत में अंतर–सामुदायिक संबंधों में असंतुलन पैदा कर देगा।

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है 'समूह की परिभाषा'। समूह से तात्पर्य पंथक या भाषायी अल्पसंख्यकों से है, जिसमें आज की स्थितियों के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया जा सकता है। विधेयक के दूसरे चैप्टर में नये अपराधों का एक पूरा सैट दिया गया है। खंड 6 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत अपराध उन अपराधों के अलावा है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन आते हैं। क्या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित किया जा सकता है ? खंड 7 में निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को उन हालात में यौन संबंधी अपराध के लिए दोषी माना जायेगा यदि वह किसी 'समूह' से संबंध रखने वाले व्यक्ति के, जो उस समूह का सदस्य है, विरुद्ध कोई यौन अपराध करता है। खंड 8 में यह निर्धारित किया गया है कि 'घृणा संबंधी प्रचार' उन हालात में अपराध माना जायेगा जब कोई व्यक्ति मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर या स्पष्टतया अभ्यावेदन करके किसी 'समूह' अथवा किसी 'समूह' से संबंध रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध घृणा फैलाता है। खंड 9 में साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा संबंधी अपराधों का वर्णन है। कोई भी व्यक्ति अकेले या मिलकर या किसी संगठन के कहने पर किसी 'समूह' के विरुद्ध कोई गैर–कानूनी कार्य करता है तो वह उसे संगठित साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा के लिए दोषी माना जाएगा। खंड 10 में उस व्यक्ति को दंड दिए जाने का प्रावधान है, जो किसी 'समूह' के खिलाफ किसी अपराध को करने अथवा उसका समर्थन करने हेतु पैसा खर्च करता है या पैसा उपलब्ध कराता है। यातना दिये जाने संबंधी अपराध का वर्णन खंड 12 में किया गया है, जिसमें कोई सरकारी कर्मचारी किसी 'समूह' से संबंध रखने वाले व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है या मानसिक अथवा शारीरिक चोट पहुंचाता है। खंड 13 में किसी सरकारी व्यक्ति को इस विधेयक में उल्लिखित अपराधों के संबंध में अपनी डयूटी निभाने में ढिलाई बरतने के लिये दंडित

किये जाने का प्रावधान है। खंड 14 में उन सरकारी व्यक्तियों को दंड देने का प्रावधान है जो सशस्त्र सेनाओं अथवा सुरक्षा बलों पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी कमान के लोगों पर कारगर ढंग से अपनी डयूटी निभाने हेतु नियंत्रण रखने में असफल रहते हैं। खंड 15 में प्रत्यायोजित दायित्व का सिद्धांत दिया गया है। किसी संगठन का कोई वरिष्ठ व्यक्ति अथवा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में नाकामयाब रहता है, तो यह उस द्वारा किया गया एक अपराध माना जाएगा। वह उस अपराध के लिए प्रत्यायोजित रूप से उत्तरदायी होगा जो कुछ अन्य लोगों द्वारा किया गया है। खंड 16 के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस धारा के अंतर्गत किये गए किसी अपराध के बचाव के रूप में नहीं माना जाएगा। (क्रमशः)

''सिंध श्रोत से हिन्दू सिंधु तक रहते आए हैं
इस धरती को मां कहते जो हिन्दू उनको कहते हैं
हिन्दू उनको कहते हैं, हम हिन्दू उन्हें ही कहते हैं
सम्प्रदाय हो चाहे जो भी, पूजा का कुछ ढंग रहे
प्रांत, जाति का प्रश्न नहीं, कुछ काला–गोरा रंग रहे
सब समाज अपनापन हो, सुख–दुःख में नित संग रहे
राष्ट्र देह परिपुष्ट बनाने, जुटे सदा जो अंग रहे
मिलकर बढ़ते चरम शिखर तक, मिल कर संकट सहते हैं
इस धरती को मां कहते, हम हिन्दू उन्हें ही कहते हैं
एक हमारा रक्त, रक्त में एक भारती धारा है
एक हमारा शील, शील में एक भरी मर्यादा है
आजादी है बसी प्राण में, प्राण योग से बांधा है
भौतिकता के मस्त गजों को, संयम द्वारा साधा है
मानवता के अडिग उपासक, दानवता को दहते हैं
इस धरती को मां कहते हैं हम हिन्दू उन्हीं को कहते हैं।''

हिन्दुओं के देश में हमेशा से भेदभाव होता आया है। उसकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह जताया है। साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक को लेकर श्री जेतली कहते हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान किए गए अपराध कानून और व्यवस्था की समस्या होती है। कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटना स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में केन्द्र सरकार को कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दों से निपटने का कोई प्रत्यक्ष प्राधिकार प्राप्त नहीं है; न तो उनसे निपटने के लिए उसके पास प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त है और न ही वह इस विषय पर कानून बना सकती है। केन्द्र सरकार का क्षेत्राधिकार इसे सलाह, निर्देश देने और धारा 356 के तहत यह राय प्रकट करने तक सीमित करता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं। इस प्रस्तावित विधेयक द्वारा ही केन्द्र सरकार राज्यों के अधिकारों को हड़प लेगी और वह राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर कानून बना सकेगी।

भारत धीरे–धीरे और अधिक सौहार्दपूर्ण अन्तर–समुदाय संबंधों की ओर बढ़ रहा है। जब कभी भी छोटा सा साम्प्रदायिक अथवा जातीय दंगा होता है, तो उसकी निंदा हेतु एक राष्ट्रीय विचारधारा तैयार हो जाती है। सरकारें, मीडिया, अन्य संस्थाओं सहित न्यायालय अपना–अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। निःसंदेह साम्प्रदायिक तनाव या हिंसा फैलाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए तथापि इस प्रारूप विधेयक में यह मान लिया गया है कि साम्प्रदायिक समस्या केवल बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा ही पैदा की जाती है और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य कभी ऐसा नहीं करते अतः बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ किए गए साम्प्रदायिक अपराध तो दंडनीय हैं। अल्पसंख्यक समूहों द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ किए गए ऐसे अपराध कतई दंडनीय नहीं माने गए हैं। अतः इस

विधेयक के तहत यौन संबंधी अपराध इस हालात में दंडनीय है यदि वह किसी अल्पसंख्यक 'समूह' के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया हो।

किसी राज्य में बहुसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को 'समूह' में शामिल नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध 'घृणा संबंधी प्रचार' को अपराध माना गया है जबकि बहुसंख्यक समुदाय के मामले में ऐसा नहीं है। संगठित और लक्षित हिंसा, 'घृणा संबंधी प्रचार', ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, जो अपराध करते हैं, यातना देना या सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी में लापरवाही, ये सभी उस हालात में अपराध माने जायेंगे यदि वे अल्पसंख्यक समुदाय के किसी सदस्य के विरुद्ध किये गये हों अन्यथा नहीं। बहुसंख्यक समुदाय का कोई भी सदस्य कभी भी पीड़ित नहीं हो सकता।

विधयेक का यह प्रारूप अपराधों को मनमाने ढंग से पुनर्परिभाषित करता है। अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी सदस्य इस कानून के तहत बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। केवल बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य ही ऐसे अपराध कर सकता है और इसलिए इस कानून का विधायी मंतव्य यह है कि चूंकि केवल बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य ही ऐसे अपराध कर सकते हैं, अतः उन्हें ही दोषी मानकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यदि इसे ऐसे स्वरूप में लागू किया जाता है, जैसा कि इस विधेयक में प्रावधान है, तो इसका भारी दुरुपयोग हो सकता है। इससे कुछ समुदायों के सदस्यों को ऐसे अपराध करने की प्रेरणा मिलेगी और इस तथ्य से वे और उत्साहित होंगे कि उनके विरुद्ध कानून के तहत कोई आरोप तो कभी लगेगा ही नहीं। आतंकी ग्रुप अब आतंकी हिंसा नहीं फैलाएंगे। उन्हें साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने में प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि वे यह मानकर चलेंगे कि जेहादी ग्रुप के सदस्यों को इस कानून के अन्तर्गत दंडित नहीं किया जाएगा। (क्रमशः)

साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक में बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों को दोषी माना जाएगा। बहुसंख्यक अर्थात हिन्दुओं को दोषी बनाने वाला शब्द है 'समूह'। विधेयक के प्रारूप में समूह की परिभाषा में इसका तात्पर्य पंथक या भाषायी अल्पसंख्यकों से है। इस कानून के अनुसार 'समूह' अर्थात् अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी प्रकार का सामाजिक अपराध तो दंडनीय है मगर किसी भी अल्पसंख्यक द्वारा किसी बहुसंख्यक अर्थात हिन्दू पर किया गया साम्प्रदायिक अपराध दंडनीय नहीं माना जाएगा। विधेयक के प्रारूप में बहुसंख्यक हिन्दुओं को 'समूह' में नहीं लिया गया और इस कानून के नियम केवल इस कानून में परिभाषित 'समूह' के सदस्यों पर ही लागू होंगे।

भारतीय संविधान में किसी भी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत में उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता मगर इस कानून में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना है तो उसे तब तक दोषी माना जाएगा जब तक वह अपने को निर्दोष साबित नहीं कर देता।

- कानून में धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव क्यों किया गया ?
- अपराध तो अपराध है चाहे वह किसी समुदाय के व्यक्ति ने किया हो।
- 21 वीं शताब्दी में एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें किसी अपराधी की जाति और धर्म उसको अपराध से मुक्त ठहराता है।
- यह अंधा कानून है, काला कानून है।

विधेयक में साम्प्रदायिक सौहार्द, न्याय और क्षतिपूर्ति के लिए एक सात सदस्यीय राष्टहीय प्राधिकरण होगा। इन 7 सदस्यों में से कम से कम चार सदस्य (जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हैं) समूह अर्थात् अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इसी तरह का एक प्राधिकरण राज्यों के स्तर पर भी गठित होगा। अतः इस निकाय की सदस्यता धार्मिक और जातीय आधार के अनुसार

होगी। इस कानून के तहत अभियुक्त केवल बहुसंख्यक समुदाय के ही होंगे। अधिनियम का अनुपालन एक ऐसी संस्था द्वारा किया जाएगा, जिसमें निश्चित ही बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य अल्पमत में होंगे। सरकारों को इस प्राधिकरण को पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां उपलब्ध करानी होंगी। इस प्राधिकरण को किसी शिकायत पर जांच करने, किसी इमारत में घुसने, छापा मारने और खोजबीन करने का अधिकार होगा और वह कार्यवाही करने, अभियोजन के लिए कार्यवाही रिकार्ड करने के साथ–साथ सरकारों से सिफारिशें करने में भी सक्षम होगा। उसके पास सशस्त्र बलों से निपटने की शक्ति होगी। वह केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर सकेगा। इस प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय स्तर पर एक कोलेजियम द्वारा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी का एक नेता शामिल होगा। राज्यों के स्तर पर भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। अतः केन्द्र और राज्यों में इस प्राधिकरण के गठन में विपक्ष की बात को तरजीह दी जायेगी।

इस अधिनियम के तहत जांच के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह असाधारण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत कोई बयान दर्ज नहीं किया जायेगा। पीड़ित के बयान केवल धारा 164 के तहत होंगे अर्थात अदालतों के सामने। सरकार को इस कानून के तहत संदेशों और टेली–कम्युनिकेशन को बाधित करने और रोकने का अधिकार होगा। अधिनियम के खंड 74 के तहत यदि किसी व्यक्ति के ऊपर घृणा संबंधी प्रचार का आरोप लगता है तो उसे तब तक पूर्व धारणा के अनुसार दोषी माना जायेगा जब तक वह निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता। साफ है कि आरोप सबूत के समान होगा। इस विधेयक के खंड 67 के तहत लोकसेवकों के खिलाफ मामला चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मुकद्दमे की कार्यवाही चलाने वाले विशेष सरकारी अभियोजन सत्य की सहायता के लिए नहीं, अपितु पीड़ित के हित में काम करेंगे। शिकायतकर्ता पीड़ित का नाम और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मामले की प्रगति रपट पुलिस शिकायतकर्ता को बताएगी। संगठित साम्प्रदायिक और किसी समुदाय को लक्ष्य बनाकर की जाने वाली हिंसा इस कानून के तहत राज्य के भीतर आन्तरिक उपद्रव के रूप में देखी जायेगी। इसका यह अर्थ है कि केन्द्र सरकार ऐसी दशा में अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल कर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में सक्षम होगी। (क्रमशः)